Par S. 17. 1. 6. 52
235

अंक १

संख्या ६

सोमवार,

२६ मई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २६३—३१०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३१०—३१४]

(मूल्य ४ आने)

230 PSD

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण फश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)(मु)
प्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डॉ० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्द्रा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चाडक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चावड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
चुरियां, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चंदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)

जेन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा —पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रजमी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासमं शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सौरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

सोमवार, २६ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संसद् सदस्यों का निरोध

*१५५. **श्री वैलायुधन :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य विधान मंडलों के या भारत संसद के कितने निर्वाचित सदस्य अभी तक निरुद्ध हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : भारत सरकार की जानकारी के अनुसार राज्य विधान मंडलों के तीन और राज्य निर्वाचक-गण का एक सदस्य , १९ मई, १९५२ को निरुद्ध थे ।

श्री वैलायुधन : वह कौन से राज्य विधान मंडल या निर्वाचक-गण हैं जिन के तीन सदस्य निरुद्ध हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : एक सौराष्ट्र में है, दो राजस्थान में हैं और एक त्रिपुरा के निर्वाचक-गण का सदस्य है ।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार को विदित है कि त्रावनकोर-कोचीन के राज्य विधान मंडल के दो सदस्य निरुद्ध हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य की जानकारी कुछ पुरानी है । जहां तक मुझे ज्ञात है, केवल यही व्यक्ति इस समय निरुद्ध हैं ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को विदित है कि हैदराबाद राज्य विधान मंडल के एक सदस्य को कल गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री गुरुपादस्वामी : क्या यह सत्य नहीं है कि इन गिरफ्तारियों से मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति यह है कि अभियुक्तों को केवल इसीलिये रिहा कर दिया जाये कि वह विधान मंडलों के सदस्य चुने गये हैं, क्योंकि दो व्यक्ति जिन्हें रिहा किया गया है, अभियुक्त हैं ?

श्री बी० एस० मूर्ति : निरोध के कारण क्या हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों को परामर्शदात्री पर्षद् के पास भेजने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री सतीश चन्द्र : सौराष्ट्र के जो सदस्य हैं, वह ध्रोल के ठाकुर साहिब हैं, जिन पर

भूपत डाकू से सांजिश करने का संदेह किया जाता है । वह राजनैतिक बन्दी नहीं है । राजस्थान के जो दो व्यक्ति हैं, वह ठाकुर केसर सिंह और मांडवी के कुमार देवी सिंह हैं । उन्हें भी डाकुओं को आश्रय देने के सन्देह पर निरुद्ध किया गया है । त्रिपुरा का जो व्यक्ति है, वह वास्तव में किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है । वह राज्य निर्वाचक-गण का सदस्य है और साम्यवादी है । उस का मामला परामर्श-दात्री पर्षद् के विचाराधीन है और यदि पर्षद् उसे रिहा करने का निर्णय करेगा, तो उसे रिहा कर दिया जायेगा ।

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि संसद् के और विधान सभाओं के कितने सदस्य भूमिगत होकर गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं समझता हूं कि संसद के और विधान सभाओं के सभी सदस्यों को खुले रूप से कार्य करना चाहिये ।

नौसेना विमान अवतरण स्थान

*१५६. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार नौसेना प्रतिष्ठान, कोचीन पर एक ऐसा नौसेना विमान अवतरण स्थान बनाने का है, जिस पर जहाजों से नौसेना वायुयान दल उतर सकें ?

(ख) यदि है, तो सरकार का इसे कब बनाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कोचीन के वर्तमान हवाई अड्डे को लेकर उसे एक भारतीय नौसेना स्टेशन बना देने का विचार है ।

(ख) अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बतलाई जा सकती है, परन्तु आशा है कि सितम्बर १९५२ तक हवाई अड्डा ले लिया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार का नौसेना विमान कर्मचारियों को किस तरह प्रशिक्षित करने का विचार है ? क्या वह विदेशों को भेजे जायेंगे या सरकार का विचार यहीं एक नौसेना केन्द्र स्थापित करने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं, कोचीन के इस प्रशिक्षण स्टेशन का उद्देश्य नौसेना कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है । इस बात पर, कि क्या उच्च प्रशिक्षण के लिए उन्हें विदेशों को भेजा जाये या नहीं, प्रारम्भिक प्रशिक्षण के बाद विचार किया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य है कि कुछ नौसेना वायुयानों को खरीदने का आदेश दे दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, प्रशिक्षण कार्य के लिए एक बेड़ा आवश्यक है । कुछ वायुयानों को खरीदने का आदेश दिया गया है और मेरा विचार है कि सौदा तय हो रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार इन वायुयानों को कितनी जल्दी प्राप्त करने की आशा करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक ठीक समय बतलाने की स्थिति में नहीं हूं परन्तु आशा की जाती है कि जहां तक प्रशिक्षण स्टेशन का सम्बन्ध है, कार्य इस वर्ष सितम्बर मास में शुरू हो जायेगा ।

श्री बी० ऐस० मूर्ति : मैं जान सकता हूँ कि क्या विशाखपटनम बन्दरगाह में भी इस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचनाचाहिये ।

सूखे से प्रभावित क्षेत्र

*१५७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५१ से देश के विभिन्न राज्यों में किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में, सूखे से पीड़ित व्यक्तियों तथा पशुओं को पानी देने के अभिप्राय से कुएं और तालाब खोदने के लिये सेना कर्मचारियों का प्रयोग किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मद्रास राज्य में रायलासीमा में ।

डा० राम सुभग सिंह : सेना कर्मचारियों द्वारा कितने कुएं तथा तालाब बनाये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कार्य अप्रैल के पहले सप्ताह में आरम्भ किया गया था और ९ मई तक ३५ कुए खोदे जा चुके थे । १६ कुओं पर काम जारी है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस काम को अन्य राज्यों में भी करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बात का निर्णय उत्पन्न होने वाली स्थितियों के अनुसार किया जायेगा ।

श्री टी० सुब्राह्मण्यम : क्या रायलासीमा में काम जारी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं, जब तक कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों जिन से कि आगे काम चलाना असंभव या अनावश्यक हो जाये ।

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार सुन्दरबन क्षेत्र में भी सेना कर्मचारियों को काम करने के लिए भेजने का है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है ।

श्री बी० शिवा राव: क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा विस्तृत विवरण रखने की कृपा करेगी जिस में रायलासीमा में सेना पदाधिकारियों द्वारा किया गया वास्तविक कार्य दिखलाया गया हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह प्रार्थना माननीय रक्षा मंत्री को भेज दूगा ।

कृत्रिम अंग केन्द्र

*१५८. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत का कृत्रिम अंग केन्द्र देश के सैनिकों तथा असैनिकों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है ?

(ख) कितने अंगहीन असैनिक तथा अन्य व्यक्ति अब तक इस प्रकार के अंगों से लाभ उठा चुके हैं ;

(ग) क्या इस केन्द्र को बढ़ाया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना, सेना की वर्तमान शान्तिकालीन आवश्यकताओं को, और कुछ हद तक नागरिकों की आवश्यकताओं को भी, पूरा करने में समर्थ है ।

(ख) अंगहीन सैनिक १८९३.
असैनिक २७२ ।

(ग) ऐसा करने का तत्काल ही कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु नागरिकों की आवश्यकतायें राज्य सरकारों द्वारा ज्ञात की जा रही हैं । उन के उत्तर प्राप्त हो जाने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या असैनिक जनता के लिए यह कार्य किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय नागरिकों और सैनिकों के बीच मासिक

बटवारा इस प्रकार है—नागरिकों के लिये लगभग २० और सैनिकों के लिए लगभग ५०; इसी सीमा तक नागरिक जनसंख्या के लिए यह सुविधायें उपलब्ध होंगी ।

श्री जांगड़े : यह केन्द्र कहां पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूना में ।

श्री एस० एन० दास : कितने सैनिकों तथा नागरिकों को कृत्रिम अंग लगाना अभी बाकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : माननीय मंत्री ने कहा है कि सैनिकों तथा नागरिकों के मध्य अनुपात ५० और २० है । मैं जान सकता हूं कि क्या घटनाओं के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है या पहले से ही सैनिकों और नागरिकों के मध्य क्रमशः ५० और २० का अनुपात निश्चित कर लिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि यह कार्य किस तरह किया जाता है परन्तु प्रत्यक्षतः कार्य इस प्रकार किया जाता है । कार्य एक मास से भी अधिक समय तक जारी रह सकता है, क्योंकि लोगों की चिकित्सा करनी होती है क्योंकि यह तो अंगों को जोड़ने का प्रश्न ह । परन्तु यदि चिकित्सा को जारी रखना पड़े—क्योंकि कृत्रिम अंगों को बनाने में भी समय लगता है—तो केवल इसीलिये ही उन लोगों को बाहर नहीं निकाल दिया जायेगा क्योंकि असैनिक रोगियों की संख्या उन के लिये निश्चित अभ्यंश से अधिक हो गई है ।

नौसेना प्रशिक्षण स्कूल, कोचीन

*१५९. **श्री बी० आर० भगत** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोचीन के नौसेना प्रशिक्षण स्कूल का पहला प्रक्रम समाप्त हो चुका है; तथा

(ख) यदि हां, तो दूसरा प्रक्रम कब शुरू करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । कोचीन के नौसेना प्रशिक्षण स्कूल में युद्ध-काल में बनाये गये अस्थायी मकानों में प्रशिक्षण दिये जाने का काम पहले से जारी है । इन प्रक्रमों में काम तो स्थायी स्थान बनाने का कार्य किया जा रहा है ।

स्थायी मकानों को बनाने का पहला प्रक्रम मार्च १९५३ तक समाप्त हो जायेगा और दूसरा प्रक्रम चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् १९५२-५३ में आरम्भ किया जायेगा ।

श्री बी० आर० भगत : कितने प्रशिक्षणार्थी वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्ततः ३२० के लिए व्यवस्था है । मैं ठीक ठीक नहीं बतला सकता कि कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव किस प्रकार होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुमानतः चुनाव उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर नौसेना छात्र-सैनिकों को लिया जाता है या वर्तमान कर्मचारियों को वरिष्ट पदों के योग्य बनाने के अभिप्राय से प्रशिक्षित करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

श्री कक्कन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे रही है या नौसैना प्रशिक्षण स्कूल को पूंजीगत अनुदान दे रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या देश में इस प्रकार के अन्य स्कूल भी हैं और यदि हैं, तो वह कहां पर हैं और कितने हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे विचार से इस समय केवल कोचीन का स्कूल ही चल रहा है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या स्कूल खोला जा चुका है या केवल इस की इमारतें बनाई जा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस का उत्तर पहले दे चुका हूं :—"कोचीन के नौसेना प्रशिक्षण स्कूल में युद्ध-काल में बनाये गये अस्थायी मकानों में, प्रशिक्षण दिये जाने का काम पहले से जारी है ।"

श्री दातार: मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

रक्षा अधिष्ठापनों में श्रमिक

*१६०. **श्री हुक्म सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रक्षा अधिष्ठापनों में काम करने वाले श्रमिकों की कुछ शिकायतों की जांच करने और इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा सितम्बर, १९५०, में कोई जांच समिति नियुक्त की गई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं श्रीमान्, अभी नहीं ।

श्री हुक्म सिंह : क्या बाद में श्रमिकों की शिकायतें दूर की गई थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न उस समिति के बारे में है जो नियुक्त की गई है । शिकायतें तो असंख्य होंगी और चूंकि हम यहां किन्हीं विशिष्ट शिकायतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । प्रश्न वस्तुतः उस समिति के बारे में है जो सदस्य के प्रश्न के शब्दों के अनुसार, "कुछ शिकायतों की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त की गई हैं" ।

श्री हुक्म सिंह : सन् १९५१-५२ में इन रक्षा अधिष्ठापनों में श्रमिकों की स्थिति क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत अस्पष्ट है । मैं इस की आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार कोई अन्तरिम प्रतिवेदन मांगेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इससे एक बहुत विशाल प्रश्न उठता है । दुर्भाग्य से, इस समिति को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ा है । इस समिति का एक अध्यक्ष था और दो अन्य सदस्य थे । अध्यक्ष की मृत्यु हो गई और इस प्रश्न पर विचार किया गया कि अब समिति अपना कार्य किस तरह जारी रखे : क्या समिति को फिर से बनाया जाये या एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाये या वर्तमान सदस्यों को काम जारी रखने के लिये कहा जाय । इन सब बातों का निर्णय करना था और यह निर्णय सम्बन्धित संघों के परामर्श के साथ किया गया । इस समय संघों की सहमति से सरकार ने यह निर्णय किया है कि वही दो सदस्य समिति के काम को जारी रखें । किसी अन्तरिम प्रतिवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें आशा है कि प्रतिवेदन वर्ष के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जायेगा ।

निर्वाचन याचिकायें

*१६१. **श्री हुक्म सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को (१) संसद् तथा (२) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के सम्बन्ध में कितनी निर्वाचन याचनायें प्राप्त हुई हैं ; तथा

(ख) अब तक कितने न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) एक विवरण, जिसमें संसद् के तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के सम्बन्ध में २० मई, १९५२ तक प्राप्त हुई निर्वाचन याचिकाओं की संख्या राज्यवार बतलाई गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ख) अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा सात न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये हैं और उन्हें २३ निर्वाचन याचिकायें (पांच संसदीय निर्वाचनों के बारे में और १८ विधान सभाओं के निर्वाचनों के बारे में) जांच करने के लिये दी गई हैं ।

श्री हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार निर्वाचन न्यायाधिकरणों के लिये अपना काम समाप्त करने के बारे में कोई कालावधि नियत करने का है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह मामला निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या न्यायाधिकरण किसी राज्य विशेष के लिए नियुक्त किये गये हैं या यह याचिकाओं के आधार पर नियक्त किये गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : वास्तव में, प्रत्येक याचिका के लिए एक पृथक न्यायाधिकरण होता है, यद्यपि कुछ मामलों में भिन्न भिन्न याचिकाओं के लिए न्यायाधिकरणों के सदस्य एक ही हो सकते हैं । अधिनियम के अनुसार प्रत्येक याचिका के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या अनुच्छेद १०२ और १०३ के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में कोई याचिका दायर की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : अर्हता के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य तो केवल अनर्हता की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

श्री जांगड़े : वह राज्य कौन कौन से हैं जहां यह न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

इंजीनियरिंग तथा प्रविधिक विद्यालय

*१६२. **श्री हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में कितने मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग तथा प्रविधिक विद्यालय ऐसे हैं जो कि विद्यार्थियों को डिग्री (उपाधि) और डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) कोर्स की शिक्षा देते हैं; तथा

(ख) भाग (क) में उल्लिखित कितने विद्यालयों ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है और इस सहायता की राशि क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) १२७ इन्स्टीट्यूशन्स (विद्यालय) ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग और टेकनिकल (प्रविधिक) सब्जैक्ट्स (विषयों) में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की तालीम (शिक्षा) दे रहे हैं।

(ख) तीन इन्स्टीट्यूशन्स (विद्यालय) ऐसे हैं जिन का पूरा खर्च सैन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) उठाती है। १७ इन्स्टीट्यूशन्स ऐसे हैं जिन्हें सन् १९५१-५२ में सैन्ट्रल गवर्नमेंट से १,००,२५,०९९ रुपये की रकम की मदद दी गई थी इस रक़म के अलावा (अतिरिक्त) एक रक़म १३,०९,००० रुपये की होस्टलज़ (छात्रावास) बनाने के लिये भी दी गई मगर बतौर क़र्ज के दी गई है जिस का सूद नहीं लिया जायेगा।

श्री बी० शिवा राव : भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करते हुए, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने वित्तीय सहायता की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्यों की इस दृष्टिकोण से जांच कर ली है कि उक्त समितियां देश के विभिन्न राज्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधान करती हैं या नहीं ?

मौलाना आज़ाद : आनरेबुल मेम्बर (माननीय सदस्य) को मालूम होगा कि एक आल इंडिया कौंसिल (अखिल भारतीय परिषद) बना दी गई है। तमाम मामलात (मामले) टेकनिकल इन्स्टीट्यूशन्स (प्रविधिक विद्यालयों) के इस के सामने जाते हैं। वह पूरी तरह इन्क्वायरी (जांच) करती है और इन्क्वायरी के बाद जब वह अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रखती है तो उसे मंजूर किया जाता है। चुनांचे (अतएव) १,००,२५,०९९ रुपये की एक रक़म, जो मदद के तौर पर दी गई है, इसी तरीक़े पर दी गई है।

श्री बी० शिवा राव : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या यह सत्य है कि इस समय उस समिति के १९ या २० सदस्यों में से ८ कलकत्ता के हैं और समिति की बैठकें सदा कलकत्ता में ही होती हैं।

मौलाना आज़ाद : कमेटी (समिति) की मुद्दत (अवधि) ख़त्म हो चुकी है। अब नया बोर्ड (पर्षद्) बन रहा है।

छोटे उद्योग तथा कुटीर उद्योग

*१६३. **श्री बी० के० दास**: क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पूना में किये गये प्रयोगों के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद छोटे तथा कुटीर उद्योगों के लिये उपयुक्त सिद्ध हुए हैं;

(ख) क्या इन परिणामों को प्रचारित किया गया है; तथा

(ग) क्या निजी व्यक्तियों और औद्योगिक समवायों ने प्राप्त परिणामों से लाभ उठाया है या उठा रहे हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) नैशनल कैमिकल लैबोरेटरी (राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला), पूना ने इस वक्त २७ आईटम्स (पद) डिमांसट्रेशन (प्रदर्शन) के लिए चुने हैं जो स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्रीज (छोटे तथा कुटीर उद्योगों) के लिए काम में लाये जा सकते हैं। एक स्टेट्मेंट (विवरण) हाउस की टेबल (सदन पटल) पर रख दिया गया है। इस से इन चीज़ों का हाल मालूम हो जायेगा।

(ख) यह तमाम चीज़ें इस तरह रखी गई हैं कि सैकड़ों आदमी वहां आते हैं और देख भाल करते रहते हैं। इस तरह के देखने

वालों की तादाद (संख्या) सालाना १५,००० तक पहुंच गई है। इस के अलावा (अतिरिक्त) पब्लिसिटी (प्रचार) के तमाम ढंग काम में लाये जाते हैं। जो लोग इस बारे में पूछ गछ करते हैं जो डिपार्टमेंट्स (विभाग) और आर्गेनीज़ेशन (संस्थायें) नई बस्तियों के बसाने के काम मे लगी हुई है, स्टेट गवर्नमेंटस राज्य सरकारों के जो डिपार्टमेंट्स (विभाग) इन्डस्ट्री (उद्योग) से लगाव रखते हैं, जो इन्स्टीट्यूशन्स (विद्यालय) स्माल स्केल इंडस्ट्री (छोटे उद्योगों) के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब को इस तरह के कागज़ भेजे जाते हैं जिन में इंडस्ट्रीज (उद्योगों) की सारी छोटी-बड़ी बातों का हाल लिखा होता है।

(ग) जी हां, एक स्टेट्मेंट (विवरण) हाउस को टेबिल (सदन पटल) पर रख दिया गया है। इस से सारा हाल मालूम हो जायेगा।

श्री बी० के० दास : विवरण से ज्ञात होता है कि उन २७ वस्तुओं में से जोकि प्रयोगशाला ने चुनी हैं, केवल पांच विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त की जा रही हैं। मैं जान सकता हूं कि अन्य वस्तुओं को प्रयोगशाला या औद्योगिक समवायों ने क्यों नहीं पसन्द किया ?

मौलाना आज़ाद : इस का मतलब (अर्थ) यह नहीं है कि सिर्फ पांच आइटम (चीजें) ही कामयाब (सफल) हुए हैं। यह पांच आइटम ऐसे हैं जिन्हें चन्द फ़र्मों (समवायों) ने काम में लाना शुरू कर दिया है। बाकी चीज़ों के लिये अभी कोशिश जारी है।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिये कि यह वस्तुएं आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से संतोषजनक हैं, कौन सी व्यवस्था है ?

मौलाना आज़ाद : किसी अलग एजेंसी (व्यवस्था) बनाने की ज़रूरत नहीं समझी गई। जो आइटम (चीजें) चुने जाते हैं उन की हर पहलू से जंचाई कर ली जाती है। फिर डिमोसन्ट्रेशन (प्रदर्शन) के लिये रखे जाते ह।

श्री नेसवी : भाग (ख) की ओर निर्देश करते हुए, मैं जान सकता हूं कि जनता के लाभ के लिये परिणाम कितनी भाषाओं में प्रकाशित किये जाते हैं ?

मौलाना आज़ाद : अभी तो सिर्फ अंग्रेज़ी में ही छपते हैं।

श्री नेसवी : परन्तु अंग्रेज़ी जैसी महत्वपूर्ण या इस से भी अधिक महत्वपूर्ण और भी कई भाषायें हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति : आप अब तर्क करने लगे हैं।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्येक मामले के लिये अपेक्षित विनियोग के बारे में प्रयोगशाला कुछ बतलाती है और क्या यह इस बारे में भी परामर्श देती है कि अमुक धन्धा व्यापारिक दृष्टि से ठीक है ?

मौलाना आज़ाद : हां, यह दोनों बातें सामने रखी जाती हैं और इस बारे में मशवरा दिया जाता है।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि एक ऐसा पाक-यंत्र (कुकर) बनाया गया है जिसे कि सूर्य की किरणों से काम में लाया जा सकता है और यदि हां, तो क्या इसे पूना में बनाया गया है या किसी अन्य स्थान पर ?

मौलाना आजाद : नहीं, पूना से इस का कोई ताल्लुक (सम्बन्ध) नहीं।

आंक समिति

*१६४. **श्री बी० आर० भगत** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या वर्तमान अमेरिकन मुख्य इंजीनियर के अधीन सहायक के रूप में काम करने के लिये किसी उपयुक्त भारतीय इंजीनियर को नियुक्त करने के बारे में आंक समिति (पंचम प्रतिवेदन) की सिपारिश पर, सरकार ने विचार किया है ; तथा

(ख) यदि किया है तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सिपारिश सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि मुख्य इंजीनियर को कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है ?

श्री नन्दा : तीन वर्ष के लिए ।

श्री बी० आर० भगत : वह कितने समय से काम कर रहा है ?

श्री नन्दा : यह कोई बहुत अधिक समय नहीं हो सकता, किन्तु मैं ठीक ठीक अवधि नहीं बतला सकता हूं ।

श्री बी० आर० भगत : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि इस सिपारिश के विषय में कि वर्तमान मुख्य इंजीनियर के सहायक को यथा संभव शीघ्र नियुक्त किया जाये ताकि मूल्यवान समय नष्ट न हो क्योंकि यह मुख्य इंजीनियर अब काफी समय से काम कर रहा है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

दामोदर घाटी निगम

*१६५. **श्री बी० आर० भगत** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंक समिति (पंचम प्रतिवेदन) की इस सिपारिश पर, कि डी० वी० सी० का इस प्रकार से पुनः संगठन किया जाये कि उस में एक प्रशासक के अतिरिक्त एक योग्य इंजीनियर और एक वित्तीय विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों, सरकार ने विचार किया है; तथा

(ख) यदि किया है, तो सरकार ने इस सिपारिश के विषय में क्या निर्णय किया है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सिपारिश सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के निगम में वित्तीय विशेषज्ञ और मुख्य इंजीनियर की स्थिति क्या है और निगम की नीतियों को निर्धारित करते समय उन के विचारों का कितना ख्याल रखा जाता है ?

श्री नन्दा : भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये गये हैं । सारा प्रश्न परीक्षाधीन है और शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायेगा ।

श्री बी० आर० भगत : गत आय-व्ययक सत्र में माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक अवस्था पर वित्तीय परामर्शदाता से परामर्श लिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं या एक विवरण सदन पटल पर रख सकते हैं जिस में यह बतलाया गया हो कि गत एक वर्ष में किस

तरह मुख्य इंजीनियर और वित्तीय परामर्श-दाता के विचारों को ध्यान में रखा गया था और उन्हें उचित महत्व दिया गया था ?

श्री नन्दा : मेरी राय में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न अभी पूछा है उस का क्षेत्र, उन के मूल प्रश्न के क्षेत्र से बहुत विस्तृत है। फिर भी जैसा कि मैं ने कहा है और वचन दिया है, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही यह जानकारी भी दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

यूनैस्को

*१६६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा**, मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था मैसूर में शीघ्र ही एक बुनियादी शिक्षा केन्द्र खोलने वाली है; तथा

(ख) यदि है, तो क्या उस केन्द्र का सारा खर्च युनैस्को उठायेगी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल का यह हिस्सा पैदा नहीं होता।

नदी घाटी परियोजनायें

*१६७. **श्री झुनझुनवाला** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगले पांच वर्षों में भारत में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के फलस्वरूप कुल कितना अतिरिक्त अनाज पैदा होगा और यह कुल उत्पादन का कितना प्रति शत होगा ?

(ख) उसी अवधि में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में तिब्बती

*१६८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष तिब्बत से ५०० लामाओं और ३०० भिखारियों ने सिक्किम के मार्ग से भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था,

(ख) यदि किया था, तो उन में से कितनों का विदेशियों के रूप में और कितनों का भारत में अस्थायी निवासियों के रूप में पंजीयन किया गया है; तथा

(ग) जनवरी १९५२ से कितने तिब्बती प्रतिदिन भारत में आ रहे हैं और कितने प्रतिदिन वापस जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सन् १९५१ में तिब्बत से २४४ लामाओं और ३८५ भिखारियों ने सिक्किम के मार्ग से भारत में प्रवेश किया था।

(ख) उन सब का अन्य देशीयों के रूप में पंजीयन किया गया था।

(ग) जनवरी १९५२ से अप्रैल १९५२ तक की अवधि में आने वालों की प्रतिदिन की औसत संख्या २३ थी और जाने वालों की ३९।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या उस समय भी यह पंजीयन की व्यवस्था थी जब सब से पहले इन तिब्बतियों ने भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था ?

श्री सतीश चन्द्र : भारत में प्रवेश करने वाले सभी तिब्बतियों को विदेशी पंजीयन नियम, १९३९ अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश के स्थान पर अपने आप को पंजीबद्ध करवाना पड़ता है और वहां से ही हम यह आंकड़े इकट्ठे करते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या उन लोगों में जो कि यहां आये हैं कोई व्यापारी भी हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जो लोग आये हैं, वह सामान्यतया वास्तविक व्यापारी ही हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि उन क्षेत्रों में जिन में इन भिखारियों ने प्रवेश किया है, भारतीय भिखारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नामधारी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से कोई साम्यवादी भी थे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह वास्तविक व्यापारी हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस विषय सम्बन्धी कोई जानकारी है कि भारत में प्रविष्ट होने वाले तिब्बतियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में प्रवेश करने वालों की संख्या की अपेक्षा वृद्धि हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोग तिब्बत को वापस जा रहे हैं । पिछले एक वर्ष से बहुत से लोग, जो कि पिछले वर्षों में आये थे, वापस जा रहे हैं । प्रतिदिन आने वालों की संख्या २३ है और जाने वालों की संख्या ३९ है :

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार हमारे देश में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिये कोई योजना आरम्भ करने वाली है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के सम्बन्ध में इतने विस्तृत प्रश्न के पूछने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार का तिब्बत तथा तिब्बती लोगों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ; यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

*१६९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में सेना ने क्या सहयोग दिया है;

(ख) सेना द्वारा कितने एकड़ भूमि में कृषि की गई थी और प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ था; तथा

(ग) कितने प्रति शत सेना कर्मचारियों ने आन्दोलन में सहायता देने के लिये कृषि कार्य किया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के फलस्वरूप, सेना ने २१,९६६ एकड़ भूमि में कृषि की है और सन् १९५१ के अन्त तक ८,९२२ टन अनाज पैदा किया है । प्रति वर्ष के आंकड़े इस प्रकार हैं: —

वर्ष	एकड़ जिसमें खेती हुई	उत्पादन
१३-८-४९ से ३१-१२-४९ तक	८,४१० एकड़	१,१२२ टन
१९५०	६,५३९ "	२,९५० टन
१९५१	७,०१७ "	४,८५० टन

(ग) सभी सेना के दस्ते कर्मचारी, जो कि युद्ध-भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में भाग लेते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि सेना कर्मचारी कृषि कार्य कब करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । उन के कृषि कार्य आरम्भ करने का प्रश्न मौसम पर निर्भर करता है । वास्तव में वह अपने फालतू समय में कृषि कार्य करते हैं और इस से उनके सामान्य कर्तव्यों में कोई बाधा नहीं पड़ती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उन सेना कर्मचारियों को, जो कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में काम करते हैं 'अधिक अन्न उपजाओ' निधि से कुछ धन दिया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे ज्ञान है, ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री बोगावत : मैं जान सकता हूं कि इस पर कितना व्यय होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसका व्यय सैनिक निधि में से दिया जा रहा है और इस का लोक लेखों से कोई सम्बन्ध नहीं है । सारी आय भी सैनिक-निधि में जमा कर दी जाती है । अतः हम कोई जानकारी नहीं दे सकते ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि जिस भूमि में सेना कर्मचारियों द्वारा कृषि की जाती है, वह किस प्रकार की है अर्थात् उस भूमि का स्वामित्व किसे प्राप्त है--क्या यह सरकारी भूमि है या इस के स्वामी असरकारी व्यक्ति हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुमानतया यह सरकारी भूमि है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि सेना द्वारा प्रति मन उत्पादन व्यय क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने कहा, यह विषय सरकारी लेखों में नहीं आता है । 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का व्यय सैनिक निधि में से दिया जाता है और आय भी इसी निधि में जमा कर दी जाती है । अतः व्यय संचित निधि में से नहीं किया जाता है । इसलिये सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न यह है कि सेना ने हिसाब लगाया होगा कि प्रति मन उत्पादन व्यय कितना है । क्या आप यह सूचना दे सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

कोलम्बो योजना

*१७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोलम्बो योजना के अनुसार भारत सरकार के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है और ३१ मार्च, १९५२ तक कितना धन प्राप्त हो चुका है;

(ख) भारत में यह राशि किस तरह वितरित की गई है ;

(ग) इस राशि में कितना धन अनुदानों के रूप में है और कितना ऋणों के रूप में; तथा

(घ) अब तक कौन कौन से विकास तथा औद्योगिक उपक्रम आरम्भ किये गये हैं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]

(ख) तथा (घ). अंशदान देने वाली सरकारों का अंशदान मुख्यतया गेहूं के रूप में प्राप्त किया गया है । इस गेहूं के विक्रय से स्थानीय धन प्राप्त हुआ है और इस स्थानीय धन का सम्बन्धित दानी सरकारों से परामर्श करके उन चुने हुए सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है जहां इस कार्य के किये जाने के लिये दोनों सहमत हैं। कनाडा के सम्बन्ध में, स्थानीय धन पश्चिमी बंगाल में मयूराक्षी बांध बनाने के लिये काम में लाया जा रहा है । वह परियोजनायें, जिन पर आस्ट्रेलियन गेंहूं के विक्रय से प्राप्त हुआ धन लगाया जायेगा अभी विचाराधीन हैं । गेहूं के अतिरिक्त एक सड़क यातायात परियोजना के लिए कनाडा सरकार द्वारा आवश्यक उपकरणों का सम्भरण भी विचाराधीन है । न्यूजीलैण्ड सरकार के नकद अंशदान का प्रयोग अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के लिए किया जा रहा है । अमरीका द्वारा ऋण पर दिये गये गेहूं के विक्रय से प्राप्त स्थानीय धन, राज्य सरकारों को कोलम्बो योजना की सम्मिलित विकास योजनाओं पर धन विनियोजन के लिए ऋण के रूप में दिया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: विवरण से ज्ञात होता है कि आस्ट्रेलिया से जो अनुदान प्राप्त हुये हैं वह सामग्री के सम्भरण के लिये हैं। मैं जान सकता हूं कि यह किस प्रकार की सामग्री के लिये निर्धारित किया गया है ?

श्री त्यागी: यह केवल विकास सामग्री के लिए है ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कराची में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में कोलम्बो योजना में क्या कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री त्यागी: जी नहीं श्रीमान्, कराची में किये गये किसी परिवर्तन के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख: प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ? माननीय मन्त्री ने आय का ब्यौरा तो दिया है, परन्तु उन्होंने प्रश्न के इस भाग का सीधा उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति, उन्हें इस विशेषण का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

डा० पी० एस० देशमुख: मैं यह शब्द वापस लेता हूं ।

श्री त्यागी: मेरे पास यह जानकारी राज्यवार तैयार नहीं है । मैं ने केवल यह जानकारी दी थी कि यह राशि किस तरह वितरित की गई है । यदि मेरे माननीय मित्र किसी विशिष्ट राज्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं यह इकट्ठी करके उन्हें दे सकता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या मैं यह समझ लूं कि केवल वही राज्य इस अनुदान से लाभ उठाते हैं जो कि इन क्षेत्रों से गेहूं लेते हैं और शेष राज्य, जो गेहूं नहीं लेना चाहते हैं लाभ नहीं उठा सकते हैं ?

श्री त्यागी: मेरे विचार से ऐसा नहीं है । वास्तव में इस प्रश्न का, कि गेहूं किन राज्यों को दिया जाता है, इस योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है । गेहूं बेचा जाता है और सारी आय को इकट्ठा करके एक स्थान पर जमा कर दिया जाता है । तब इसे विकास कार्यों के लिए एक संयक्त-निधि के रूप में समझा जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवेज़ की अवक्षयण परिसम्पत्त को इस निधि से पूरा करने का कोई प्रस्ताव था ?

श्री त्यागी: जी नहीं श्रीमान्, इस निधि से नहीं ।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या दानी सरकारों की ओर से इस आशय का कोई विशिष्ट निदेश दिया जाता है कि उन के द्वारा दी गई राशियां विशिष्ट कार्यों पर खर्च की जायें ?

श्री त्यागी: जी हां श्रीमान् । प्राप्त राशि सदा दानी सरकार की सहमति के साथ व्यय की जाती है । कनाडा की सरकार ने आर्थिक विकास के लिये पहले वर्ष के लिए १५० लाख डालर अंशदान देना स्वीकार किया है । इस में से एक करोड़ गेहूं के सम्भरण के लिये है और शेष अन्य उपकरणों के सम्भरण के लिये है । कुल गेहूं जो कि सम्भरित किया जाना था, ११४,१०० टन था । इस में से १११.७ हजार टन गेंहूं अप्रैल १९५२ के अन्त तक प्राप्त हो चुका है । अब इस के मूल्य को कनाडा सरकार की सहमति से भारत में विकास कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

डा० जयसूर्य: कोलम्बो योजना के अधीन क्या सड़क यातायात विकास केवल बम्बई राज्य तक ही सीमित है ?

श्री त्यागी: मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं इसे इकट्ठा करके माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या इस से यह परिणाम निकालना ठीक होगा कि हमारी पंच-वर्षीय योजना कोलम्बो योजना के अधीन कर दी गई है ?

श्री त्यागी: श्रीमान्, पंच-वर्षीय योजना इस के अधीन नहीं है, अपितु कोलम्बो योजना इस की पूरक योजना है ।

बैंकों का परिसमापन

***१७१. श्री ए० सी० गुहा: क्या वित्त** मंत्री ९ मई, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९७६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) २५ बैंकों में से वह १२ बैंक, जिन के लिए प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, किस तरह चल रहे हैं;

(ख) क्या यह सब बैंक अभी काम कर रहे हैं; तथा

(ग) क्या बैंकों ने अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता किया है और यदि किया है तो क्या ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). उक्त १२ बैंकों में से, एक का नाम तो भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ की धारा २४७ के अन्तर्गत रजिस्टर से काट दिया गया है और दो अन्य बैंकों को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कार्य समापन का आदेश दिया जा चुका है । शेष नौ बैंक, प्रबन्ध सम्बन्धी स्वीकृत योजनाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं ।

(ग) प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं के अनुसार लेनदारों के दावों के बारे में अनिवार्य रूप से समझौता करना पड़ता है । एक विवरण जिस में इन नौ बैंकों की प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

श्री ए० सी० गुहा: : मैं जान सकता हूं कि बैंक का नाम काट दिये जाने का क्या कारण है—माननीय मंत्री ने भारतीय समवाय अधिनियम के किसी खंड का उल्लेख किया था ।

श्री त्यागी : क्योंकि उस ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया था, जो कि स्वीकार की गई थीं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह विधि सम्बन्धी प्रश्न है और माननीय सदस्य भारतीय समवाय अधिनियम के उपबन्धों को पढ़ सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: माननीय मंत्री ने कहा कि दो बैंकों को आवश्यक रूप से परिसमापित करने का आदेश दिया गया है। मैं जान सकता हूं कि तीसरे बैंक के बारे में जिसका नाम पंजी से काट दिया गया है, क्या आदेश दिया गया है—क्या इसे भी परिसमापित किये जाने का आदेश दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रश्न का उत्तर देना तो नहीं चाहिये, किन्तु फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य भारतीय समवाय अधिनियम का निर्देश करें , तो मेरे विचार से वह देखेंगे कि जब किसी कम्पनी का परिसमापन किया जाता है, तो उसे अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है ।

श्री ए० सी० गुहा: विवरण के बारे में, मैं जान सकता हूं कि विभिन्न बैंकों ने उन पर लगाई गई शर्तों का किस तरह पालन किया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री त्यागी: रिजर्व बैंक को इस विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । यदि स्वीकृत शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस मामले पर विचार किया जाता है । फिर इस पर सरकार द्वारा कार्यपालिका कार्यवाही नहीं अपितु कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने बैंकों को पूर्णतः समापित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । अगला प्रश्न ।

राजबन्दी

***१७२. डा० एम० एम० दास** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे: (क) गत साधारण निर्वाचन के पश्चात्, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है; तथा

(ख) निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) १ जनवरी, १९५२ से १० मई १९५२ तक ११६१ ।

(ख) १७-५-१९५२ को ९८७ व्यक्ति—५३७ राजनैतिक और ४५० अराजनैतिक—निरुद्ध थे। ५३७ राजनैतिक राजबन्दियों में से ४१ सितम्बर २९ तक पैरोल (अभिवचन) पर थे ।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि वह परिस्थितियां और बातें क्या थीं जिन के कारण केन्द्रीय सरकार ने इन राजबन्दियों को रिहा करना आवश्यक समझा था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां कि राज्य सरकार किन्हीं अत्यधिक विशिष्ट कारणों से यह समझती हो कि निरुद्ध व्यक्ति

को रिहा करना इस अवस्था पर वांछनीय नहीं है, केन्द्रीय सरकार की नीति यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को रिहा कर दिया जाये। यह रिहा करने की सामान्य नीति है।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को संतोष है कि उस राजनैतिक दल ने, जिस के सदस्य अधिकतर राजबन्दी हैं, अपनी हिंसात्मक कार्यवाहियां छोड़ दी हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं श्रीमान्। यह संतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। सब बातों पर विचार करके और स्थिति को ध्यान में रख कर ही हम ने यह निर्णय किया है।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या रिहाई की इस सामान्य नीति में उन चोर बाज़ारी करने वालों की रिहाई भी सम्मिलित होगी, जो कि इस समय निरुद्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सैद्धान्तिक आधार पर साम्यवादी दल के प्रति निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत, निरुद्ध करने के लिए विभेदकारी व्यवहार नहीं किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं सका। आप विशिष्ट मामले लेते हैं। मैं कोई द्वेष उत्पन्न करने वाली तुलनायें तो नहीं करना चाहता, किन्तु लोगों के कुछ ऐसे गुट अब भी निरुद्ध हैं, जो यह कहते हैं कि रिहा होने पर वह फिर हिंसात्मक कार्य करेंगे। यह एक स्पष्ट मामला है। अन्य समुदाय कहते हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगे। अतः वस्तुतः यह अलग अलग व्यक्तियों का मामला है; इस विषय में साम्यवादी दल या किसी अन्य दल के प्रश्न का संभवतः कुछ महत्व है, किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि किसी एक व्यक्ति ने क्या किया है या क्या करेगा या क्या करने का उस का इरादा है।

श्री ए० के० बसु : क्या यह निर्णय करना कि किस को रिहा किया जाये, राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, यह प्रायः उसी का दायित्व है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : व्यक्तिगत मामलों की जांच किये जाने के प्रश्न के अतिरिक्त, मैं जान सकता हूं कि क्या रिहाइयों सम्बन्धी ऐसी कोई सामान्य नीति है जिसे सरकार अपनाने वाली है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस का उत्तर पहले दे चुका हूं जब तक कि व्यक्तिगत मामलों में कोई विशेष कारण न हों, तो सामान्य नीति रिहा करने की ही है।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरोध

*१७३. **डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में कितने संसद् सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य अभी तक निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री वैलायुधन के तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर, जो मैं अभी दे चुका हूं दिलाता हूं।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चित निदेश जारी किये हैं कि जहां तक संसद् के और विधान सभाओं के सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्हें यथा सम्भव रिहा कर दिया जाये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने अभी एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यह सामान्य निदेश सब के बारे में है और यह उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो कि निर्वाचित हुए हैं, विशेष रूप से लागू होता है ।

प्रविधिक शिक्षा

*१७५. **प्रो० अग्रवाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों में कितने भारतीय विद्यार्थी केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों पर उच्च प्रविधिक (टेकनिकल) शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों को भेजे गये ; तथा

(ख) उन में से कितने विद्यार्थियों को वापस आ जाने पर सरकार द्वारा अभी तक काम पर नहीं लगाया गया है और क्यों ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम (समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना) के अन्दर ऐजूकेशन मिनिस्ट्री (शिक्षा मंत्रालय) ने १०६ विद्यार्थी बाहर के कई मुल्कों में भेजे थे ।

(ख) २०—जिस में से सात को प्राइवेट (असरकारी) फर्मों में काम मिल गया है । केवल तेरह बाकी रह गये हैं, जिन के लिये कोशिश की जा रही है ।

स्कालरशिप देने से मतलब यह नहीं था कि जितने विद्यार्थी बाहर भेजे जायें उन सब को सैन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) के सरकारी कामों पर ही लगाया जाये । सरकार की यह कोशिश होती है कि सब काम पर लगाये जायें । सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) का काम हो, स्टेट (राज्य) सरकारों का काम हो, यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) हो, रिसर्च इन्स्टीट्यूशन (अनुसन्धान संस्था) हो या कोई इण्डस्ट्रियल (औद्योगिक) फर्म हो, कहीं न कहीं उन्हें काम पर लगाया जाये और ऐसे काम पर लगाया जाये जहां पर वह बाहर की पढ़ाई और ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) को ठीक तौर पर काम में ला सके । आनरेबुल मैम्बर को मालूम है कि मुल्क के बटवारे के बाद किस तरह की हालत देश पर छा गई थी । इंडस्ट्रियल डैवलपमैन्ट (औद्योगिक विकास) का बहुत सा काम रुक गया । साथ ही हजारों की तादाद (संख्या) में लोग घर से बेघर हो गये और सरकार के सिर नया बोझ आ पड़ा कि उन्हें काम पर लगाने के लिये जगह निकाले ।

श्री वीरस्वामी उठे—

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रथा का अनुसरण करते रहे हैं कि जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा हो, उसे पहले अपने सब अनुपूरक प्रश्न समाप्त कर लेने का अवसर दिया जाये । मैं समझता हूं कि चूंकि उन्होंने प्रश्न प्रस्तुत किया है, अतः अन्य किसी माननीय सदस्य की अपेक्षा, जो कि केवल अग्रेतर प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं, उन्होंने इस का अधिक सावधानी से अध्ययन किया होता है । आचार्य अग्रवाल ।

प्रो० अग्रवाल : जिन लोगों को काम पर नहीं रखा जा सका है, उन के क्या क्या विषय हैं जो बाहर स्टडी (शिक्षा) के लिए भेजे गये हैं ?

मौलाना आज़ाद : इस के लिए नोटिस (पूर्वसूचना) की जरूरत है ।

प्रो० अग्रवाल : क्या इन लोगों के काम पर लगने की संभावना हाल में है ?

मौलाना आज़ाद : हां, जो तेरह बाकी रह गये हैं, उन के लिए बराबर कोशिश की

जा रही है । मुझे उम्मीद (आशा) है कि वह चन्द दिनों में काम पर लग जायेंगे ।

श्रीमती ए० काले : यदि इन विद्यार्थियों को उपयुक्त नौकरी नहीं दी जाती है, तो क्या इन्हें अन्य स्थानों पर नौकरी ढूंढ़ने की आज्ञा दी जाती है ?

मौलाना आज़ाद : हां, हमने एक कायदा (नियम) यह रखा है कि अगर तीन महीने के अन्दर उन्हें सरकार काम पर नहीं लगा सकती तो जो शर्त उन से की गई थी उस से वह फ़ी (मुक्त) कर दिये जाते हैं और वह जो नौकरी चाहें अख्तियार कर सकते हैं ।

श्रीमती ए० काले : यदि उन को दी गई नौकरी उन की योग्यता के अनुकूल न हो, तो क्या सरकार उन्हें बाहर जा कर अधिक अच्छी नौकरी ढूंढ़ने की आज्ञा देगी ?

मौलाना आज़ाद : यह बात इन्डिविजुअल केस (व्यक्तिगत मामले) पर मौक़ूफ (निर्भर) है । सरकार कोशिश करती है कि जिन सब्जैक्टस (विषयों) के लिए वह बाहर भेजे गये थे उस के मुताबिक (अनुसार) उन को जांब (नौकरी) मिले । अगर कोई ऐसा खास (विशेष) केस है, जिस की तरफ आनरेबुल मैम्बर ने इशारा किया तो उस को देख कर इस तरह की भी कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थी भारत सरकार के खर्च पर विदेशों को भेजे गये हैं ?

मौलाना आज़ाद : नोटिस की जरूरत है ।

विक्रय कर अपील न्यायाधिकरण

*१७६. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विक्रय कर अपील न्यायाधिकरण के जिस के प्रधान कलकत्ता उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश थे, निर्णयों का और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री बोस के एक निर्णय का ज्ञान है, जिन दोनों में यह कहा गया था कि मैसर्ज बिरला ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबन्ध आधीन विभिन्न समवायों ने पश्चिमी बंगाल विक्रय कर की एक बड़ी राशि का अपवंचन किया है ?

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि यदि लेखों में विक्रयों को दिखाया नहीं गया है, तो आयकर के प्रयोजन के लिए आय को भी कम बतलाया गया है और आय कर का काफी अपवंचन किया गया है ?

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार विभिन्न बिरला समवायों के मामलों को, आयकर जांच आयोग को निर्दिष्ट करने का है ?

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) इस मामले का पश्चिमी बंगाल सरकार से सीधा सम्बन्ध है, क्योंकि विक्रय कर से संघ सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । तथापि, जहां तक भारत सरकार को विदित है पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण ने दो कम्पनियों यानी दी केसोराम काटन मिल्स लि० और दी ओरियन्ट पेपर मिल्स लि० के मामलों पर विचार किया था, किन्तु उस ने यह देखा कि विक्रय को कम कर के नहीं दिखलाया गया था । भारत सरकार के पास इस बारे में

कोई जानकारी नहीं है कि माननीय न्यायाधिपति श्री बोस के समक्ष क्या शिकायत प्रस्तुत की गई थी और उन का निर्णय क्या था, किन्तु समाचार पत्रों से ज्ञात होता था कि यह शिकायत पश्चिमी बंगाल विक्रय कर विभाग द्वारा किसी पदाधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में थी।

(ख) से (ङ)। भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, भाग (ख) से (ङ) तक के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने यह कैसे समझ लिया है कि विक्रय कर के लेखों को दबा लेने से आय कर पर प्रभाव नहीं पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप वादविवाद करने लगे हैं। यह विधि सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर इस कारण नहीं दिया गया कि यह उत्पन्न नहीं होता है। मैंने केवल यह बतलाने की चेष्टा की है कि .....

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी सम्मति है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए जो कि समाचार पत्रों में छापे जा रहे हैं, क्या सरकार का विचार विभिन्न विरला समवायों के मामलों को आयकर अपील न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

आयकर अपील न्यायाधिकरण की पटना शाखा

*१७७. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय उन मामलों की संख्या क्या है जो निबटाये जाने के लिये आयकर अपील न्यायाधिकरण की पटना शाखा के विचाराधीन है ?

(ख) सन १९५१-५२ में प्रति मास इस प्रकार के कितने मामले निबटाये गये थे ?

(ग) अप्रैल १९५२ में कितने मामले निबटाये गये थे ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १ मई, १९५२ को ५९५।

(ख) १९५१

अप्रैल	७४
मई	२२
जून	२८
जुलाई	३९
अगस्त	१०६
सितम्बर	१७०
अक्तूबर	१३८
नवम्बर	७२
दिसम्बर	७१
१९५२—	
जनवरी	१०४
फरवरी	११४
मार्च	२३०

(ग) २५९

श्री अनिरुद्ध सिन्हा : क्या सरकार का विचार आयकर अपील न्यायाधिकरण की पटना शाखा को कलकत्ता ले जाने का है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले वर्ष एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भारत सरकार ने छोड़ दिया था और इस समय कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान, क्या विवरण से यह प्रकट होता है कि जब से यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया है निपटाये गये मामलों की संख्या काफी बढ़ गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : एक बैंच द्वारा १५० से २०० तक मामलों का निपटारा किया जाना असाधारण बात नहीं समझी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

*१७८. **प्रो० अग्रवाल** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिपारिशों के बारे में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

(ख) यदि की गई है, तो आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों में क्या क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख)। कमीशन (आयोग) की सिपारिशों पर यूनिवर्सिटियों (विश्वविद्यालयों) और स्टेट (राज्य) सरकारों की रायें मांगीं गई थीं । बहुतों की आ गई हैं और गवर्नमेंट आफ इण्डिया (भारत सरकार) उन पर ध्यान दे रही है । स्टेट यूनिवर्सिटियों (राज्य विश्वविद्यालयों) और सरकारों ने इस वक्त तक क्या क्या काम इस बारे में किया है इस बारे में भी लिखा पढ़ी हो रही है और जरूरी बातें मालूम की जा रही हैं ? जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का लगाव है उस ने फौरन कोशिश की कि कमीशन की सिपारिशों को काम में लाया जाये । तीन सैन्ट्रल यूनीवर्सिटियों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों) के एक्ट (अधिनियम) में कमीशन की सिपारिश के मुताबिक (अनुसार) अदल बदल किया जा चुका है और अब नये एक्ट के अन्दर काम हो रहा है । विश्व-भारती को सैन्ट्रल यूनीवर्सिटी (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) का रूप दिया जा चुका है जैसी कि कमीशन की सिपारिश थी । इसी तरह नये सिरे से यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी (विश्वविद्यालय अनुदान समिति) भी बनाई जा रही है जिस पर कमीशन ने बहुत जोर दिया था ।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि किस किस विश्वविद्यालय में मातृभाषा के मीडियम (माध्यम) के जरिये काम शुरू हुआ है, जैसी कि सिपारिश की गई थी ।

मौलाना आज़ाद : इस के लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मुझे खेद सहित कहना पड़ता है कि मैं इसे नहीं समझ सका ।

मौलाना आज़ाद : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सारे उत्तर का अनुवाद चाहते हैं ? मेरे विचार से इस में समय लगेगा । अब केवल चार मिनट शेष हैं । दो प्रश्न और पूछ लेना अधिक अच्छा होगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं आप से सहमत हूं ।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं भी कोई रूरल यूनिवर्सिटी (ग्राम विश्वविद्यालय) शुरू हुई है जैसा कि सिपारिश की गई है ।

मौलाना आज़ाद : दिल्ली में एक जनता कालिज खोला गया है और हमारे सामने एक नकशा है जिस की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है ।

श्री एस० सी० देव : क्या सरकार का विचार माध्यमिक शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाने का है ?

मौलाना आजाद : हां, सरकार एक कमीशन (आयोग) बिठा चुकी है जो अक्तूबर से काम शुरू करने वाला है ।

श्री एस० सी० देव : क्या सरकार को विदित है कि प्रत्येक राज्य में इस योजना पर चर्चा की जा रही है या इसे बनाने का विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या वजीर तालीम (शिक्षा मंत्री) बता सकेंगे कि अमरावती का जो जनता कालिज है उस के मांग करने के बाद भी रिकागनीशन (मान्यता) नहीं दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे उत्पन्न होता है ? मेरे विचार से इस का सम्बन्ध मध्य प्रदेश सरकार से है ।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमान, यह विश्वविद्यालय आयोग के अधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस ने सिफारिश की है ?

श्री के० जी० देशमुख : कालिज ने विश्वविद्यालय आयोग से प्रार्थना की थी किन्तु यह दी नहीं गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस समय कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री के० जी० देशमुख : मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह सत्य है कि---

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिवेदन को पढ़ सकते हैं । अगला प्रश्न ।

छावनी केन्द्रीय समिति

*१७९. **श्री एन० एस० जैन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या छावनी केन्द्रीय समिति ने जिस के अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल हैं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि कर दिया है, तो कब,

(ख) क्या सरकार का इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने और सदन पटल पर रखने का विचार है और यदि है, तो कब;

(ग) समिति कब बनाई गई थी; तथा

(घ) समिति द्वारा कितने गैर सरकारी साक्षियों की परीक्षा की गई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां-- १५ नवम्बर, १९५१ को ।

(ख) प्रतिवेदन छप रहा है और चालू सत्र में सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) यह समिति २८ मई, १९४९ को बनाई गई थी ।

(घ) कोई व्यक्तिगत परीक्षा नहीं की गई थी । एक प्रश्नावली जारी की गई थी जिस पर एक हजार से अधिक उत्तर प्राप्त हुए थे और इन की जांच की गई थी ।

श्री एन० एस० जैन : क्या समिति ने किसी मौखिक साक्षी की परीक्षा की थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुमानतः नहीं ।

श्री एन० एस० जैन : मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार कोई विधान बनाने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समिति की एक सिफारिश एक प्रकार के वैधानिक प्रस्तावों के सम्बन्ध में है और सरकार का

छावनी अधिनियम में शीघ्र ही संशोधन करने का विचार है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या संशोधक विधेयक इस सत्र में लाया जायगा या बाद में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भवत: इस सत्र में नहीं । मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

भूमि तथा छावनी अधिदेश

*१८० **श्री एन० एस० जैन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तीन कमानों द्वारा भूमि तथा छावनी अधिदेश के व्यवस्थापन पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : लगभग ९ लाख रुपये प्रति वर्ष ।

श्री एन० एस० जैन : क्या सरकार को विश्वास है कि भूमि तथा छावनी अधिदेश अपने नियत कार्य को ठीक प्रकार से कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को विश्वास है कि अधिदेश के पास काफी काम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उत्तर स्पष्ट है । उस के पास काम है और यदि यह काम पर्याप्त नहीं होगा तो सरकार विभाग को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री एन० एस० जैन : क्या सरकार का विचार इस विभाग में कोई मितव्ययता करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तान को गेहूं का निर्यात

श्री सिंहासन सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पाकिस्तान को गेहूं देने का निर्णय किया है । और यदि किया है, तो क्या यह गेहूं भारतीय होगा या विदेशों से आयात किया हुआ होगा ?

(ख) क्या भारत की गेहूं सम्बन्धी स्थिति ऐसी है कि वह अन्य देशों को गेहूं का निर्यात कर सके ?

(ग) पाकिस्तान को कितना गेहूं भेजने का विचार है और किन शर्तों पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) । भारत की ओर से पाकिस्तान को गेहूं का दान देने का या अन्य देशों को निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं है । पाकिस्तान को गेहूं की अत्यधिक आवश्यकता है और हम ने उसे उस की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देने के लिये भारत आने वाले गेहूं के चार जहाजों को बीच समुद्र से कराची की तरफ़ घुमा देने का प्रस्ताव किया था । मैं यह भी बता दूं कि हम अमेरिका में इस गेहूं का बाजार भाव के अनुसार पूरा मूल्य दे चुके हैं । यह सौदा तो केवल पाकिस्तान को तुरन्त गेहूं देने के अभिप्राय से किया गया है । इस के साथ ही हमने दी जाने वाली मात्रा को 'बिना लाभ हानि' के आधार पर बदलने का प्रबन्ध भी किया है । इस प्रस्ताव के अन्तर्गत दो जहाज तो बातचीत शुरू होने के बाद, पहले ही बम्बई पहुंच चुके हैं। अब तो केवल दो जहाजों को घुमाने का प्रश्न है । क्योंकि इन जहाजों को भेजने से पाकिस्तान में गेहूं की स्थिति सुधर जायेगी, अत: हमें आशा है कि वह अपना कुछ फालतू चावल हमें दे सकेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : चावल देने के लिए क्या शर्त है ? क्या यह उस मूल्य पर दिया जायेगा जिस पर कि हम गेहूं दे रहे हैं या उस से कम मूल्य पर ?

श्री करमरकर : यह सौदा न 'लाभ न हानि' आधार पर किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान ने इस गेहूं को वहां भेज देने के लिए भारत सरकार से कब प्रार्थना की थी ?

श्री करमरकर : हाल ही में ।

सेठ गोविन्द दास : जितना गेहूं हम इस प्रकार से पाकिस्तान को दे रहे हैं, उतने का ही हम को चावल मिलेगा या उस से कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा ?

श्री करमरकर : हमारी इच्छा है कि उतनी ही कीमत का चावल हम को मिले ।

श्री पी० टी० चाको : चूंकि पाकिस्तान ने भारत से प्राप्य ऋण का एक दावा किया है, मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में गेहूं के मूल्य के बारे में क्या तय किया गया है ?

श्री करमरकर : हम ने गेहूं के प्रश्न को ऋण के प्रश्न के साथ नहीं जोड़ा है ।

श्री पाटसकर : क्या पाकिस्तान ने चावल देना स्वीकार किया है ?

श्री करमरकर : इस मामले पर बात-चीत हो रही है ।

श्री जोशिम अलवा : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार का यह पहला सौदा है या इस से पहले भी इस प्रकार के कोई अन्य सौदे हो चुके हैं ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि बीच समुद्र मार्ग से आते जहाजों को पाकिस्तान की ओर गेहूं घुमा देने का यह पहला सौदा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह समुद्र मार्ग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । वह केवल यह जानना चाहते थे कि क्या इस से पूर्व गेहूं को भेज देने का कोई सौदा हुआ था ?

श्री करमरकर : मेरा भी यही अभिप्राय था ।

श्री बर्मन : मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पिछली बार पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल से जो चावल हमें दिया था, वह दो वर्ष पुराना था और उस में से आधा सड़ा हुआ था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यह तो तर्क करना होगा ।

श्री दाभी : यदि पाकिस्तान ने चावल न दिया, तो सरकार क्या करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि गेहूं देने का जब पाकिस्तान से वादा किया तो उसी के साथ तय कर लिया गया कि उतनी कीमत का चावल पाकिस्तान भेजेगा या नहीं ? या यह जवाब है कि बिना चावल का मसला तय हुए ही गेहूं देने के लिये गवर्नमेंट ने तय कर लिया ?

श्री करमरकर : यह तो वायदे की बात नहीं है । उन्होंने हमारे पास गेहूं की मांग की तो हम ने कहा कि हां, हम देंगे और यह चार कनसाइनमेंट्स (खेप) हम भेज रहे हैं । लेकिन हम कहते हैं कि हम को चावल चाहिये, इसलिये हम को इतनी कीमत का चावल दीजिये । यह वादे की बात नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह : जवाब से तो मालूम हुआ कि गेहूं पहले से ही कराची और पाकिस्तान

चला गया है । क्या उसी अमाउन्ट (राशि) का चावल हमारे पास आ गया ?

श्री करमरकर : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, हमें जो चावल उस से मिलेगा, उस के बारे में बातचीत हो रही है । गेहूं अभी समुद्र मार्ग से आ रहा है, दो जहाजों को बम्बई से कराची की ओर भेजा जा रहा है ।

श्री दाभी : क्या सरकार यह देखेगी कि.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यद्यपि इस से कुछ हास्य या मुस्कराहट पैदा होगी, मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तरों से यह प्रतीत होता है कि वास्तव में सरकार गेहूं तो दे चुकी है, परन्तु चावल प्राप्त करनेका प्रश्न एक समस्या बना हुआ है । यही सारी बात है ।

श्री करमरकर : आरम्भ से ही ऐसी स्थिति थी । उन्होंने गेहूं मांगा । हम ने कहा 'हां' । उसके बदले में हम ने चावल मांगा है । ठीक ठीक स्थिति यह है । यह समझौते की शर्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : समझौता तो कोई हुआ ही नहीं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : गेहूं की कुल मात्रा कितनी है ?

श्री करमरकर : उन दो खेपों में से, जो कि अब मई में उधर भेजी जा रही हैं, एक जहाज पर ९२०० टन गेहूं है और दूसरे पर ९२०० टन है । यदि जुलाई में और गेहूं भेजा गया, तो उस की मात्रा ९८५० टन और ८४२४ टन होगी ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि पाकिस्तान ने हमें चावल देने से इन्कार कर दिया, तो इस मात्रा को बाहर से आयात करके पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री करमरकर : शर्त तो बिल्कुल स्पष्ट है । उसे मूल्य देना ही पड़ेगा चाहे वह चावल के रूप में दे या नकदी के रूप में ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें अब अगले कार्यक्रम को लेना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सस्ते मकान

*१५४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'सस्ते मकान' समिति ने वह कार्य शुरू कर दिया है जो कि उसे सौंपा गया था ;

(ख) क्या उसने इस विषय पर कोई योजनायें तैयार की हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि सस्ते मकानों के सम्बन्ध में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जाने को है; तथा

(घ) यदि हां, तो प्रदर्शनी का स्थान तथा समय क्या होगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) । जी हां, श्रीमान् । यह समिति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्थापित की गई है । इस का उद्घाटन अधिवेशन २५ अप्रैल, १९५२ को हुआ था । आशा की जाती है कि यह अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन ६ मास के अन्दर और अपना अन्तिम प्रतिवेदन एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर देगी ।

(ग) तथा (घ). सस्ते मकानों के सम्बन्ध में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रक्षा विज्ञान सेवा

*१७४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित रक्षा विज्ञान सेवा के कृत्य क्या होंगे ?

(ख) इसे किस सिद्धात पर संगठित करने का विचार ह और इसके कर्मचारी कौन होंगे ?

(ग) शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था के साथ, जिसे स्थापित करने का विचार है, इस का क्या सम्बन्ध होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) रक्षा विज्ञान सेवा को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि रक्षा संगठन के विभिन्न भागों में नियोजित सभी असैनिक वैज्ञानिकों और टैकनिकल पदाधिकारियों को एक सेवा के अन्तर्गत कर दिया जाये। इस से विभिन्न रक्षा स्थापनाओं में होने वाले वैज्ञानिक कार्य का अधिक उत्तम समन्वय हो सकेगा और वैज्ञानिकों को विभिन्न कार्यों पर उनके महत्व के अनुसार अधिक उत्तमता से लगाया जा सकेगा।

(ख) इस सेवा की पदावली में अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी या विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी वह सब पद सम्मिलित होंगे जिन्हें असैनिक वैज्ञानिकों को करना पड़ता है। आरम्भ में, वह व्यक्ति जो कि अब इन पदों पर नियुक्त हैं, इस सेवा में इस शर्त पर लिये जायेंगे, कि वह अपेक्षित योग्यता रखते हों आगामी भर्ती सदा की तरह संघ-लोक-सेवा आयोग द्वारा की जायेगी।

(ग) शस्त्रास्त्र अध्ययन संस्था की स्थापना में और रक्षा विज्ञान सेवा के निर्माण में वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त संस्था सैनिक टैकनिकल स्टाफ पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये और शस्त्रास्त्र के विकास के लिए अनुसन्धान कार्य करने का एक केन्द्र होगी। तथापि रक्षा विज्ञान सेवा के उपयुक्त पदाधिकारियों को इस संस्था में अध्यापकों के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। रक्षा विज्ञान सेवा के कुछ पदाधिकारी इस संस्था में मौलिक अनुसन्धान को रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के लिये प्रयोग में लान का काम भी करेंगे।

भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी

२३. **श्री वैलायुधन :** (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन विदेशियों की संख्या क्या है जिन्होंने सन १९५१ में भारत में प्रवेश किया और जिन्हें प्रवासाज्ञा तथा पारपत्र की सुविधाएं दी गई थीं ?

(ख) उन की राष्ट्रीयतायें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख)। एक विवरण, जिस में उन विदेशियों की संख्या जिन्हें सन् १९५१ में भारत के लिये प्रवासाज्ञा दी गई थी, और उन की राष्ट्रीयतायें बतलायी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६।**] यह जानकारी कि वस्तुतः उन में से कितनों ने भारत में प्रवेश किया, परन्तु उपलब्ध नहीं है।

हीराकुड नियंत्रण पर्षद्

२४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड नियंत्रण पर्षद् तथा हीराकुड विकास पर्षद् कब स्थापित किये गये हैं ;

(ख) इन पर्षदों को क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्रदान किये गये हैं और इस की स्थापना के समय से बांध परियोजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इन पर्षदों की स्थापना से पूर्व काम में कितनी प्रगति हुई थी; तथा

(घ) परियोजना का अन्तिम अनुमानित व्यय क्या है ?

योजन तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख)। प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू० २–१२(२७) तिथि २७ मार्च, १९५२ की एक प्रतिलिपि, जिस में हीराकुड नियंत्रण पर्षद् तथा हीराकुड विकास परिषद् के विधान तथा कृत्य बतलाये गये हैं, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७**] परियोजना पर संतोषजनक रूप से कार्य हो रहा है, अभी तक किसी पर्षद् की बैठक नहीं हुई है।

(ग) प्रगति सम्बन्धी विवरण की एक प्रतिलिपि, जिस में फरवरी १९५२ के अन्त तक किये गये कार्य की प्रगति तथा व्यय दिखलाया गया है, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(घ) संशोधित अनुमानों के परीक्षण के लिये नियुक्त की गई परामर्शदात्री-समिति द्वारा सिपारिश किये गये विभिन्न परिवर्तनों के अधीन संशोधित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार ८९·०९ करोड़ रूपये। संशोधित प्राक्कलन और समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

आसाम के पहाड़ी जनजाति क्षेत्र

२५. श्री ब्रह्मो चौधरी: (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम के पहाड़ी जन जाति क्षेत्रों (स्वायत्त क्षेत्रों) के सुधार के लिये संघ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की कई है ?

(ख) इन क्षेत्रों के सुधार सम्बन्धी निर्माण योजनायें क्या हैं ?

(ग) इन क्षेत्रों के सुधार के लिये आसाम सरकार को अब तक कितना अनुदान दिया गया है तथा इन स्वायत्त क्षेत्रों को जिलावार कितना अनुदान दिया गया है ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जन-जाति क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। संघ सरकार ने, संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत इस कार्य के लिये अनुदानों की मंजूरी दी है।

(ख) तथा (ग) जिला वार व्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सन् १९५१-५२ में स्वायत्त पहाड़ी जिलों के लिए ४९ लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी और इस वर्ष २७ लाख रुपये की मंजूरी देने का विचार है।

अंक १

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १—१४]

(मूल्य ९ आने)

212 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [(जिला जालौन व जिला इटावा (पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरली (पूर्व)

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ जिला आगरा (पश्चिम)

अंचित राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालापाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा —पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी—महासू)

अयंगार, श्री एम० ए० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिंगलपुट)

अलबा, श्री जोशिम (कनारा)

आ

आगम दास जी, श्री (विलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (विलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री, शिवदयाल (जिला बांदा व जिला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० एल० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० मदराई—रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-उत्तर-रक्षित-अनसूचित-जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गौड)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमारकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कचि रॉयर, श्री एम० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर-व ज़िला फ़ैजाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री बिल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनसुय्याबाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई-दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा-पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवगंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० बी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बाकुंडा)

कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खडकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्स, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंडामन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

ग-जारी

गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री बी० बी० (बम्बई नगर-उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा (विशाखापटनम्-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी, मोझ, श्री (कालाहांडी-बोलनगिर-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरी, श्री बी० बी० (पथपठनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी-पूर्व)

गुरुवाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम, क़ादिर श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित-आसाम जन जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेंल (पैरिया-कुलम)

गौंडर, श्री के० पैरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर

चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चांडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुबल्लूर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चाको, श्री पी० टी० (मीनाचल)

चाड़क, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चावदा, श्री अकबर (बनासकोठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंग (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गोहाटी)

चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खीरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संवाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

ज-जारी

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई उपनगर)

जयसर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भज वी० (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधो पुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (देनकनाल-पश्चिम कटक-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर-क्योंझर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़रुख़ाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजीत प्रसाद (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर-उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनोर-दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच-पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)

जोशी श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

झ

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झा आज़ाद, श्री भागवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी पिल्ले रामचन्द्र, श्री (बेलोर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर-उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद-दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झाड़ग्राम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर-उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर-पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़र-नगर-दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दारंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दामी, श्री फूलसिंह जी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांम उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुर्गेर सदर व बसुई-रक्षित अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर—क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेलीराम (बारपटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व – रक्षित-अनसूचित जातियां

दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)

देव, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

दशमुख, श्री चितामणि द्वारका नाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती मध्य व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहम, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम, श्री एस० बी० एल० (गुटूंर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर) रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नानादास श्री, (आंगोल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मा सिंह (फ़ाजिल्का—सिरसा)

नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंडी)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्कर)

नायर, श्री बी० पी० (चिरायांकिल)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खेरी-पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)

नेहरु, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी-पश्चिम)

नेहरु, श्री जवाहर लाल (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवीदत्त (ज़िला अलमोड़ा-उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद उत्तर पश्चिम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीयूजी राव (दक्षिण सतार)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल-व ज़िला अलमोड़ा-दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली उत्तर)

पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)

पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाड़े (अहमदा-बाद-उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)

पारिख, श्री रसिक लाल यू० (जालावाड़)

पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसाना पूर्व)

पजारी

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (एलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलघुरम)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां)

प्रसाद, श्री हरिशंकर (जिला गोरखपुर-उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डीलाल (झज्जर रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायुं-पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुर सिंह, श्री फ़िरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया-पूर्व)

बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राहमण्यम, श्री एस० (मदुराई)

बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंद-शहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर पूर्व)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)

बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)

बुकआ, श्री देवकान्त (नोगांव)

बुवराधसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर दक्षिण)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम-उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

बह्यो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित-जन-जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)

भवनजी ए० खोमजी, श्री (कच्छ-पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गैड़गांव)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (थदत माल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

भ–जारी

भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्ण-राव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बाकुंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरूचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा-उत्तर)

मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व जिला जौनपुर पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री अनूपलाल (भागलपुर व पूर्निया)

महता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

हता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाता, श्री मजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़-रक्षित्-अनसूचित जन-जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिणव धालभम-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, श्री मीतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सूरज प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, श्री पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्नश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित- अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन्, श्री एम० (वैल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिककुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

म–जारी

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूर)

मैनन, श्री के० ए० दामोद (कोज़िकौडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैत्थू, प्रो० सी० जी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शौलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कीटा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्ला खां (सिहौर)

रणजोत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़जुर (ज़िला मुरादबाद-मध्य)

राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रधवय्या, श्री पिशुपति वैंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर-रक्षित- अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शौलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद-पश्चिम)

राम सुगत सिंह, डा० (शाहबाद-दक्षिण)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राय, श्री पतिराम (बड़ी रहाट-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया-पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)

राव, श्री कोड़ सुब्बा (एलुरु-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, दीवान रायवेन्द्र (उस्मीनाबाद)

राव, श्री पेडयाल राघव (वरंगल)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा-दक्षिण)

राव, श्री केनेट्टी मोहन (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, डा० बी० रामा (काकिनाडा)

राव, श्री टी० बी० बिट्टल (खम्मभ)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित-अण्डमान निकोबार-द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाहय मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रूप नारायण श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री बाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीम नगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बरनी-मध्यपूव व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाम्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां-रक्षित-अनुसूचित-जातियाँ)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा-पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)

वर्मा, श्री बलाकी राम (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चित व ज़िला फरुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर-दक्षिण-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन उत्तर)

वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया-पूर्व)

वल्लातराम, श्री के० एम० (पुडुकोटे)

वाधमारे, श्री नारायण राव (परमणी)

विजय लक्ष्मी, पंडि,त श्रीमती (ज़िला लखनऊ-मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैकंटारमन, श्री आर० (तजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास मूघरदास (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैष्ण, श्री हनुमन्त राव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पाडन्, श्री एम० (शंकरनाचिनार कोविल)

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण मुरैना-भिंड)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरट-दक्षिण)

श—जारी

शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)

शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला बिजनौर- उत्तर)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ-उत्तर पूर्व)

शाह, श्री चिमनलाल चाकू भाई (गोहित जाड़-सौरठ)

शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शिवा, डा० एम० बी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

सखोर, श्री टी० सी० (मंडारा -रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (बर्णपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सरमा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलूक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा रक्षित अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर पश्चिम)

सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)

सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस पूर्व)

सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा-रायगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगजा-रायगढ़)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रताप)मुज़फ्फरपुर पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटली पुत्र)

सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व)

सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

स–जारी

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर-पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया–पश्चिम)

सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम)

सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ़्फ़रनगर उत्तर–रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रहमण्यम, श्री कांडाला (विज़ियानगरम)

सुब्रहमण्यम्, श्री टेकूर (बैल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड-रक्षित-अनूसुचित जातियां)

सैन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सैन, श्रीं फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)

सैन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर दक्षिण)

सेबल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पाल जुझार पूर्णिया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाधन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां

हेम राज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा-उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

श्री हरि विनायक पाटसकर

श्री ऐन० सी० चटर्जी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन

श्री एस० एल० शकधर

श्री एन० सी० नन्दी

श्री डी० एन० मजूमदार

श्री सी० वी० नारयण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री गोविंदराव धर्मजी वर्तक

प्रो० सी० पी० मैथ्यु

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री ऐन० गोपालस्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री—श्री के० एन० काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिश्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रीगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

वित्त राज्य-मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

उप-मंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

सोमवार, २६ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

राष्ट्रपति का संदेश

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि राष्ट्रपति से मुझे यह संदेश प्राप्त हुआ है :

> "१६ मई १९५२ को संसद् के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक के समक्ष मैंने जो अभिभाषण दिया था, उस के प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा धन्यवाद की अभिव्यक्ति को प्राप्त कर के मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ है।"

विशेषाधिकार समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम २०४ के अनुसार मैं इन व्यक्तियों को विशेषाधिकार समिति का सदस्य नियुक्त करता हूं :

(१) डा० कैलाश नाथ काटजू (अध्यक्ष)

(२) श्री सत्य नारायण सिन्हा
(३) श्री ए० के० गोपालन
(४) डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(५) श्रीमती सुचेता कृपलानी
(६) श्री सारंगधर दास
(७) श्री बी० शिवा राव
(८) श्री आर० वेंकटारमन
(९) डा० सैय्यद महमूद
(१०) श्री राधेलाल व्यास

सदन समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि लोक सभा की सदन समिति के यह सदस्य होंगे :

(१) श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (अध्यक्ष)
(२) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
(३) श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
(४) श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
(५) श्री हलहार्वी सीताराम रेड्डी
(६) श्रीमती अम्मु स्वामीनाधन
(७) कर्नल बी० ऐच० ज़ैदी
(८) श्री तुलसी दास किलाचन्द
(९) श्री हीरेन्द्र नाथ मुखर्जी
(१०) श्री के० ए० दामोदर मैनन
(११) श्री सारंगधर दास
(१२) श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर

नियम समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम २३१ के उप-नियम

[अध्यक्ष महोदय]

(१) के अनुसार मैं इन व्यक्तियों को नियम समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं :

(१) श्री ऐम० अनन्तशायनम् आयंगार
(२) पंडित ठाकुर दास भार्गव
(३) श्री सत्य नारायण सिन्हा
(४) चौधरी हैदर हुसैन
(५) श्री ओ० वी० अलगेशन
(६) पंडित अलगू राय शास्त्री
(७) श्री ए० के० वसु
(८) श्री आर० जी० दुबे
(९) श्री ऐन० ऐम० जयसूर्य
(१०) श्री के० केलप्पन
(११) श्री ऐन० सी० चटर्जी
(१२) ऐच० ऐम० महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह देव
(१३) श्री जयपाल सिंह
(१४) श्री के० सुब्रह्मण्यम्

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आय-कर अधिनियम १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय आय-कर अधिनियम १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे आयव्ययक— सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : सदन अब रेलवे आयव्ययक पर चर्चा आरम्भ करेगा । चर्चा से पूर्व मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिये १५ मिनट की कालावधि नियत करता हूं, परन्तु माननीय रेल मंत्री, ४५ मिनट या यदि आवश्यकता पड़ी तो इस से भी अधिक समय ले सकेंगे ।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर) : श्रीमान्, यह एक विचित्र सी बात है कि माननीय मंत्री के रेलवे आयव्ययक भाषण की तेरह कंडिकाओं में से नौ या दस तो केवल रेलवेज़ के पुनर्वर्गीकरण के बारे में हैं । बाकी सब प्रश्नों को जिन का जनता से सम्बन्ध है अन्त में एक ही वाक्य में निपटा दिया गया है और वह वाक्य यह है कि "मैं संचालन कार्य-पटुता को बनाये रखने, श्रम तथा प्रशासन के मध्य अधिक घनिष्ट सम्बन्ध उत्पन्न करने और यात्रियों तथा जनता को अधिक सुविधायें देने के लिये सदा प्रयत्नशील रहूंगा ।"

पुनर्वर्गीकरण का प्रश्न चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो माननीय मंत्री को उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये था जो जनता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं ।

जनता की सैंकड़ों शिकायतों में से मैं कुछ एक का उल्लेख करूंगा । पहली शिकायत उन कठिनाइयों के बारे में है जिन का तीसरे और इन्टर दर्जों के यात्रियों को सामना करना पड़ता है । इन डब्बों में स्थान का अभाव होता है और सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं होता है । यदि आप किसी कोने में बैठे हों तो अत्याधिक भीड़ के कारण आप के लिए पाखाने तक पहुंचना असंभव होगा । गाड़ियों में इन्टर क्लास के डब्बे सामान्यतया एक या दो ही होते हैं और यात्रियों को उन में बैठने की जगह भी नहीं मिलती है । तीसरे दर्जे के यात्रियों के बारे में एक और बात यह है कि रेलवे दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) भिन्न भिन्न स्टेशनों पर घूमते रहते हैं और बेटिकट

यात्रियों को पकड़ कर उन के संक्षिप्त अभियोग के बाद उन पर १५ या २० रुपये जुर्माना कर देते हैं। यदि वह यह रकम नहीं दे सकते हैं तो उन्हें हवालात में भेज दिया जाता है और जब तक वह जुर्माना अदा न कर दें उन्हें वहां रहना पड़ता है। मुझे एक ऐसे मामले का ज्ञान है जिस में एक ग्रामीण को जो भीड़ के कारण टिकट नहीं ले सका था इस गलती के लिये १५ दिन कारावास में रहना पड़ा था।

यदि आप सायं को मार्ग के किसी छोटे स्टेशन पर जायें तो आप देखेंगे कि वहां बिजली का प्रकाश नहीं होता है और अन्धेरा ही अन्धेरा छाया रहता है। बुकिंग क्लर्क (टिकट बाबू) गाड़ी के आने के समय से केवल पांच मिनट पहले आता है और यदि कोई यात्री जल्दी के कारण इतने समय में टिकट नहीं ले सकता है और गाड़ी में बैठ जाता है तो वह दण्डाधिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इन कठिनाइयों को दूर करन के लिये आप को तीसरे और इन्टर दर्जे के अधिक डब्बों की और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि डब्बे तुरन्त उपलब्ध न हों तो कुछ माल के डब्बों में आवश्यक परिवर्तन कर के उन में यात्रियों के बठने की व्यवस्था की जा सकती है।

अब मैं कोयला-खानों को खाली माल के डब्बे प्रदाय करने के प्रश्न को लेता हूं। मुझे बतलाया गया है कि माल के डब्बों की कमी के कारण कोयला खानेंबन्द होने वाली हैं। रेलवे प्रशासनों को माल के डब्बे प्रदाय कर के कोयला उद्योग से भी अधिक आय होती है। किन्तु इस मामले में कहीं कुछ गड़बड़ होती है और माल के डब्बों का समुचित प्रदाय नहीं होता है। कुछ खानों को बहुत से डब्बे मिलते हैं औरों को बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की जानी चाहिये क्योंकि कोयला उद्योग डब्बों की प्रदाय पर ही निर्भर है। यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो न केवल उद्योग में अपितु इस में काम करने वाले श्रमिकों में बेचैनी और बेकारी फैल जायेगी।

एक और बात जो कि रेलवे कर्मचारियों के एक सम्मेलन में मेरे ध्यान में आई वह रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा का प्रश्न है। रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं करता है और नये स्कूलों को अनुदान नहीं दिये जाते हैं। रेलवे कर्मचारियों की अपने परिवारों को छोड़ कर अपने काम के सम्बन्ध में दूर दूर स्थानों पर जाना पड़ता है जिस के फलस्वरूप उन के बच्चों की देख भाल के लिये घर पर कोई नहीं रह जाता है और यह भय रहता है कि वह पथभ्रष्ट न हो जायें। यह एक राष्ट्रीय मामला है और रेलवे प्रशासन तथा सरकार को इसे अपना कर्तव्य समझ कर आठ लाख रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

एक और बात की ओर भी जो है तो स्थानीय महत्व की किन्तु वैसे बहुत आवश्यक है मैं आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा। धनबाद में जहां का मैं निवासी हूं कोयला खान की एक महत्वपूर्ण तथा अधिक यातायात वाली रेलवे लाइन एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क को जो सिंदरी तथा रांची को ग्रांड ट्रंक रोड से मिलाती है और जो कि एक और सड़क से भी मिलती है जिस पर विभिन्न कार्यालय, अस्पताल, न्यायालय आदि स्थित हैं काटती हुई गुज़रती है। लोगों को इस लाइन को पार करने में सदा कठिनाई होती है। इस रेलवे फाटक का प्रश्न बहुत पुराना है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे कर वहां कम से कम एक पुल तो बनवा दे ताकि खान के कर्मचारियों तथा रांची के सैनिकों

[श्री पी० सी० बोस]

को अपने प्रति दिन के यातायात में कोई विलम्ब न हो ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिये कहने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं । इस समय हम रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा कर रहे हैं और विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । मेरे विचार से इन विशिष्ट बातों या शिकायतों की चर्चा अनुदानों की मांगों के समय करना अधिक अच्छा होगा । इस समय प्रशासन की एक सामान्य समीक्षा करना ही उचित होगा ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : श्रीमान्, श्री गोपालस्वामी अय्यंगार तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की रेलवेज़ का एक बहुत सुनहरा चित्र खींचा है । परन्तु अपने भाषणों में उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उन से ज्ञात होता है कि वास्तविक दशा इस के विपरीत है । सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सन् १९५०-५१ और इस से पहले के चार वर्षों में रेलों पर २२,४५० दुर्घटनायें हुईं और इन में ४,११७ व्यक्ति हताहत हुए । श्री गोपालस्वामी का कहना है कि यह दुर्घटनायें और मृत्युयें विध्वंसकारी तत्वों की कार्यवाहियों के कारण हुई हैं । मैं पूछता हूं कि क्या इस तरह इन 'तत्वों' रेलवे कर्मचारियों और सस्थाओं को बदनाम करना उचित है, विशेषतया जबकि उन्होंने स्वयं कहा है कि वह गत पांच वर्षों से टूटे फूटे यात्री तथा माल के डब्बों और रेल पथों से ही रेलवेज़ का काम चला रहे हैं ।

आयव्ययक को देखने से ज्ञात होता है कि हमारी कुल आय २८२·१६ करोड़ रुपये है और इस में से १८७·६९ करोड़ रुपय हम संधारण क्रय तथा वेतनों पर व्यय करते हैं । नौ लाख कर्मचारियों को लगभग ११० करोड़ रुपये दिये जाते हैं और शेष धन विभिन्न मदों में डाल दिया जाता है जिस में से एक मुख्य मद ३४ करोड़ रुपये की है जो कि ४ प्रति शत ब्याज पर सामान्य राजस्व में डाली जाती है । क्या हम ब्रिटिश राज्य की इस प्रथा को जारी रखेंगे जब कि हम जानते हैं कि हमारी रेलवेज़ इतनी उपयोगहीन और टूटी फूटी अवस्था में हैं ?

श्रमिकों के सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि एक श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी ७० रुपये है और रेलवे के उच्चतम अधिकारी—रेलवे मुख्य आयुक्त अथवा वित्त आयुक्त—का वेतन ४००० रुपये है । मैं यह नहीं कहता कि उसे इतना वेतन न दिया जाये मैं तो यह चहता हूं कि वेतनों में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये और श्रमिकों को अधिक वेतन मिलना चाहिये, क्योंकि उन्होंने भी जीवित रहना है । इस समय इन नौ लाख रेलवे कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है ।

तीसरे दर्जे के किराये २० से २५ प्रति शत तक बढ़ा दिये गये हैं । खाद्य पदार्थों तथा कोयले के भाड़े में भी वृद्धि हुई है । किन्तु २३ करोड़ रुपये का लाभ होने पर तथा सामान्य राजस्व को ३४ करोड़ रुपये देने पर भी यात्रियों को अधिक सुविधायें देने के लिये रेल मंत्री द्वारा एक भी प्रयत्न नहीं किया गया है । सुविधाओं के लिये तीन करोड़ रुपया उन्होंने अवश्य दिया है । किन्तु यदि गणना की जाये तो ज्ञात होगा कि प्रति वर्ष ६ पाई प्रति व्यक्ति यात्रियों की सुविधाओं के लिये दिया जाता है । मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त आश्चर्य-जनक तथा लज्जाजनक बात है । और फिर डब्बों और तीसरे दर्जे में यात्रा की हालत भी देखिये । यह कारावास में जाने से कम नहीं होती है । चीन में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये रात को सोने का प्रबन्ध किया गया है । यहां ऐसा क्यों नहीं किया जाता ? देश की आधी आय रक्षा सेवा के लिये व्यय कर दी जाती है जब कि वास्तव में आक्रमण का कोई

खतरा नहीं है और जनसाधारण के कष्टों का निवारण नहीं किया जाता है। उसे तीसरे दर्जे का अधिक किराया देना पड़ता है। साधारण व्यापारियों और उद्योगपतियों को कोयले पर अधिक वस्तु भाड़ा देना पड़ता है। क्या यह केवल श्रमिकों, यात्रियों या उद्योगपतियों पर नहीं अपितु सभी लोगों पर जनसाधारण पर सीधा आक्रमण नहीं है ?

आयव्ययक का पुनरावंटन आवश्यक है क्योंकि हम ३४ करोड़ रुपये सामान्य राजस्व में नहीं दे सकते । इस सम्बन्ध में मेरा एक ठोस सुझाव यह है कि रेलवे की तीनों निधियों—अवक्षयण निधि, रेलवे रक्षित निधि तथा विकास निधि को इकट्ठा कर के एक ही निधि में मिला दिया जाये और इस को प्रति वर्ष रेलवेज के पुनर्निर्माण के लिये काम में लाया जाये। मेरा सुझाव है कि विकास निधि में जो १६३ करोड़ रुपया है उसे हमारी रेलों को यात्री तथा माल के डब्बों और इंजनों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने के लिये काम में लाया जाये ताकि हम इन चीजों के लिये कनाडा या अन्य देशों पर निर्भर न रहें।

सुविधाओं के बारे में तीसरे दर्जे के यात्रियों को यदि सोने का स्थान नहीं तो कम से कम बैठने का स्थान तो देना ही चाहिये। इस सम्बन्ध में एक हजार से अधिक 'सैलूनों' को यात्री डब्बों में परिवर्तित किया जा सकता है ।

श्रम समस्या के सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं कि आज कल श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है और मजदूर संघों को हतोत्साहित किया जाता है। हमारे संघ को जिस के सदस्यों की संख्या २०,००० है मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया है और उसे कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। एक संघ को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। नये अनुशासनीय नियमों के अन्तर्गत, सैंकड़ों श्रमिकों को निकाला जा रहा है । मैं पूछता हूं कि राष्ट्रीय (सुरक्षा को रक्षित रखने के) नियमों को रेलवे श्रमिकों पर क्यों लागू किया जाता है। यह एक गलत नीति है और इन नियमों का अवश्य अन्त होना चाहिये।

मेरे अन्य सुझाव यह हैं : प्रति वर्ष पुनर्वास के लिये कुछ राशि अलग रखी जाये। किरायों और वस्तु भाड़े में कमी की जाये, रेल कर्मचारियो के सम्बन्ध में, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों को कार्यान्वित किया जाये, आयोग की सिपारिशों के अनुसार उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाये और उन्हें राजनैतिक कारणों से दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये।

इस समय पुनर्वर्गीकरण की जो योजना है, हम उस के विरुद्ध हैं। इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संसदीय उप-समिति बनाई जानी चाहिये। इस योजना को, कर्मचारीवृन्द तथा जनता के दृष्टिकोण से अधिक अच्छी तरह से कार्यान्वित करने के लिये हम सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : मेरे पास जो थोड़ा सा समय है, मैं उस में अपना भाषण व्यापार तथा उद्योग की कुछ कठिनाइयां तथा समस्यायें बतलाने तक ही सीमित रखूंगा। श्वेत पत्र से ज्ञात होगा कि रेलवे राजस्व का लगभग ५५ प्रति शत भाग या १६२ करोड़ रुपये माल के यातायात से प्राप्त होते हैं। अवक्षयण तथा विकास आदि निधियों के लिये सब प्रकार का प्रावधान करने के बाद, रेलवेज को ५७ करोड रुपये का शुद्ध राजस्व लाभ होता है, किन्तु व्यापार तथा उद्योग की, जो कि रेलवे के सब से बड़े आय के साधन हैं, मन्दी के कारण बुरी दशा हो रही है।

[श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

[श्री जी० डी० सोमानी]

१० म० पू०

साधारणतया माननीय रेल मंत्री को चाहिये था कि वह व्यापार तथा उद्योग को सहायता देने के लिये कुछ उपाय करते, किन्तु वास्तव में स्थिति क्या है। कोयले का भाड़ा ३० प्रति शत बढ़ा दिया गया है और वस्तु-भाड़े के ढांचे के नवीकरण तथा पुनः समायोजन के नाते बहुत सी अन्य वस्तुओं, खाद्यान्न, दालों, फौलाद, चीनी आदि का रेल भाड़ा बढ़ा दिया गया है। कोयले के भाड़े में हुई वृद्धि के बारे में, यह युक्ति दी गई है कि कोयले के यातायात का औसत व्यय प्रति मील तो लगभग नौ पाई है, किन्तु औसत आय लगभग ४.५ पाई है। श्रीमान्, यह केवल एक आंकिक गणना है जो कि वास्तविकता की कसौटी पर प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि रेल भाड़े का ढांचा औसत यातायात व्यय पर आधारित नहीं होता है, अपितु प्रत्येक वस्तु के भार सहन करने की शक्ति पर आधारित होता है। मैं समझता हूं कि उद्योगों पर इस प्रकार से ३.६० करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार डाल देना उचित नहीं है। यह वृद्धि सरकार की मुद्रास्फीति को रोकने और उद्योगों को सहायता देने की नीति के प्रतिकूल है। कोयले के प्रश्न के बारे में, मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं और वह यह है कि कोयले के लदान के लिये पर्याप्त संख्या में माल के डब्बों की उपलब्धता। युद्धपूर्व काल में बम्बई की कपड़ा मिलें कोयले का प्रयोग करती थीं, किन्तु ईंधन योग्य तेल के सस्ता होने और युद्धकाल में परिवहन की कठिन समस्या के कारण, धीरे धीरे सब ने तेल को काम में लाना शुरू कर दिया। अब सब मिलें तेल का प्रयोग करती हैं। रेलवे प्राधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन किये गये हैं कि यदि पर्याप्त मात्रा में माल के डब्बे दिये जायें, तो सभी मिलें पुनः कोयले का प्रयोग शुरू कर देंगी। इस विषय में उपयुक्त कार्यवाही करने के प्रश्न पर रेलवे पदाधिकारियों को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये।

रेलवेज़ की सामान्य भाड़े की नीति के बारे में, मैं यह कहूंगा कि नई टेलिस्कोपिक पद्धति के जारी किये जाने से, बहुत से कच्चे माल पर, भाड़ा १०० से ३०० प्रति शत तक बढ़ गया है। रासायनिक पदार्थों, सीमेंट और चीनी जैसे कई उद्योगों ने इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से समय समय पर अभ्यावेदन भी किये हैं। मैं समझता हूं कि भाड़े इस प्रकार निर्धारित होने चाहियें जिस से कि देश में उद्योगों का विकास हो सके। यदि कच्चे माल के लदान पर आप इतना भार डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यह उद्योगों के लिये कितना हानिकारक होगा। विभिन्न रेलवे प्रशासनों से भी इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किये गये हैं, किन्तु उन से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। रेल भाड़ा न्यायाधीकरण भी रेल के भाड़े के प्रश्न की जांच कर सकता है, परन्तु उस का क्षेत्राधिकार सीमित है और नई पद्धति के जारी किये जाने के फलस्वरूप बढ़े हुए भाड़ों के मामले का पुनरीक्षण करने का इसे अधिकार नहीं है। जब न्यायाधीकरण को यह अधिकार ही नहीं है, तो इस से उद्योग को क्या लाभ हो सकता है ?

सारे व्यापार और उद्योग में आई मन्दी को ध्यान में रखते हुए, मैं नये रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह भाड़े की दरों के प्रश्न की जांच करने के लिये और यह देखने के लिये कि इस ढांचे से उद्योगों को असुविधा तो नहीं हो रही है, एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करें और उद्योग के प्रतिनिधियों को एक निष्पक्ष समिति के सामने यह प्रमाणित करने का अवसर दें कि वर्तमान भाड़े की दरें वस्तुतः कुछ उद्योगों के लिये कठिनाई उत्पन्न कर रही हैं या नहीं। इस समय जब कि व्यापार तथा उद्योग को वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़

रहा है, उन की शिकायतों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करना ही उचित है।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं श्री गोपालस्वामी आयंगार को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा क्योंकि उन्हीं की प्रशासनिक दक्षता तथा विशाल अनुभव के कारण ही रेलवे विभाग में इतना सुधार हुआ है।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, सन् १८५३ से पहले देश में कोई रेलवे नहीं थी। इसी वर्ष बम्बई से पहली गाड़ी चली थी। सन् १८५७ के बाद भारत में रेलवेज़ बनाने के लिये इंगलैंड में कई कम्पनियां बनाई गईं, किन्तु इन की कोई नियमित या अखिल भारतीय नीति नहीं थी। ऐसी नीति निर्धारित करने का निर्णय पहले विश्वयुद्ध के बाद किया गया था। इस सम्बन्ध में पहला पग सन् १९२५ में उठाया गया जब कि कुछ रेलवेज़ सरकार ने अपने हाथ में ले लीं। सन् १९४४ तक बहुत सी रेलवेज़ सरकार ने अपने हाथ में ले ली थीं। भारतीय राज्यों की रेलवेज सरकार ने सन् १९५० में लीं। विभाजन से हमारी रेलवेज़ पर विशेषतया उत्तर पश्चिमी रेलवे पर बहुत बोझ पड़ा। सन् १९५० में रेलवे पर्षद की एक समिति ने सारी स्थिति का पुनर्विलोकन कर के यह सिफारिश की कि देश के विभिन्न भागों की रेलवेज़ को मिला कर एक कर दिया जाये और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये छै महाखण्ड बनाये जायें। यह सिफारिश रेलवेज़ की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली गई और पुनर्वर्गीकरण का काम जोरों से शुरू हो गया। १४ अप्रैल, १९५१ को दक्षिणी रेलवे बनाई गई, और ५ नवम्बर १९५१ को केन्द्रीय तथा पश्चिमी रेलवेज़ बनाई गईं। किन्तु जब उत्तर की रेलवे बनाने का प्रश्न आया, तो दो कारणों से इस के प्रति विरोध प्रदर्शित किया गया। एक यह था कि इस पुनर्वर्गीकरण से कार्य-कुशलता को हानि पहुंचेगी और दूसरा यह था कि कर्मचारियों का अनावश्यक स्थानान्तरण, छंटनी आदि होगी, जिससे उनको कष्ट होगा। जहां तक दूसरी कठिनाई का सम्बन्ध है माननीय प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में कोई कष्ट नहीं होने दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि इस आश्वासन को पूर्णतः कार्यान्वित किया जायेगा।

कार्यकुशलता में कमी के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विषय में किसी आशंका की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था का उचित अनुभव किया जाना चाहिये। राज्यों के विलीनीकरण की तरह, रेलवेज़ के इस पुनःवर्गीकरण तथा एकीकरण के प्रयोग का अध्ययन किया जाना चाहिये। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो, बहुत अच्छी बात है। इस के बाद यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता हुई, तो यह किया जा सकता है।

जहां तक रेलवे यात्रियों को सुविधायें देने का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि गत दो या तीन वर्षों में काफी कुछ किया गया है। परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। गाड़ियों में भीड़ बहुत रहती है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान विशेषतः ओ० टी० रेलवे के कासगंज और बरेली के मध्य के विभाग पर होने वाली अधिक भीड़ की ओर दिलाना चाहता हूं। सहारनपुर-इलाहाबाद की गाड़ियों में इन्टर क्लास के डब्बे बहुत कम होते हैं। आशा है कि जनता की शिकायतें दूर करने के लिये इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

फिर यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न है। श्री गाडगिल के साथ जो दुर्घटना हुई थी, वह हमें इस विषय के महत्व की याद दिलाती है। प्रतीत होता है कि रेलवे का रक्षक दल ठीक से काम नहीं करता है। चोरियां और जेब-

[श्री रघुवीर सहाय]

कतरी बहुत अधिक होती है। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान बीकानेर में हाल ही में हुई रेल दुर्घटना की ओर दिलाना चाहूंगा, जिस में लगभग ५० व्यक्ति मारे गये और इस से कहीं अधिक घायल हुए। हमें विचार करना होगा कि इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाये । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि इंजन के पीछे तीसरे दर्जे के डब्बों के स्थान पर कुछ खाली डब्बे या माल के डब्बे लगा दिये जाया करें, ताकि तीसरे दर्जे के यात्रियों की जानें बचाई जा सकें ।

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : रेलवे व्यापार तथा उद्योग के लिये अत्यावश्यक है। कुछ राज्यों में तो यह बहुत ही महत्वपूण हैं, किन्तु आसाम का तो सारा जीवन ही इन पर निर्भर करता है । विभाजन के बाद आसाम नदी और रेल दोनों के द्वारा शेष भारत से कट गया था । अतः यह अत्यावश्यक था कि आसाम के साथ एक रेलवे लिंक (रेल कड़ी) द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जाता । रेलवे प्रशसन ने अपने संचालन कार्यों में जो सुधार किया है, मैं इस के लिये उसे बधाई देता हूं। युद्ध के दिनों में आसाम रेलवे अमेरीकनों द्वारा चलाई जाती थी और जब वह इसे छोड़ कर गये थे, तो इस रेलवे में सब चीजों की बुरी दशा थी। इंजन गाड़ियां डब्बे और उन का सब सामान टूटी फूटी अवस्था में था। यात्रा करना भी खतरे से खाली नहीं था । अनुशासन का तो बिल्कुल ही अभाव था। अब स्थिति काफी सुधर गई है और अनुशासन भी काफी हद तक पुनः स्थापित हो चुका है। अब गत्यावरोध कम हैं और गाड़ियों के चलने में सुधार हो गया है। किन्तु मैं कहूंगा कि अब भी आसाम रेल कड़ी में बहुत सा सुधार होना शेष है। मनीहारी घाट और अमीन गांव-पांडुघाट पर मार्गावरोध हैं, पांडुघाट पर एक रेल का पुल बनाने का प्रस्ताव था, किन्तु इसे आर्थिक कठिनाई के कारण छोड़ दिया गया था। मैं रेलवे प्रशासन से आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि यह दो पुल यथासंभव शीघ्र बनाये जायें, क्योंकि यह न केवल व्यापार तथा उद्योग के दृष्टिकोण से अपितु रक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यावश्यक हैं। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा के लिए आसाम में रेलवे यातायात का जल्दी सुधारा जाना आवश्यक है। यदि इस सीमान्त पर, भगवान न करे, कुछ गड़बड़ हुई, तो भारत के लिये अपनी रक्षा करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि केवल एक ही रेलवे लाइन आसाम को भारत से मिलाती है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह लाइन सन्तोषजनक तथा पर्याप्त रूप से कार्य कर रही है। यदि यह दो पुल न बनाये गये, तो संकट के समय इस सीमान्त की रक्षा कैसे की जायेगी ? अतः मेरा निवेदन है कि रेलवे प्रशासन को प्रश्न के इस पहलू पर अविलम्ब विचार करना चाहिये ।

तेजपुर-बालीपुरा रेलवे सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। इस सम्बन्ध में यह जान कर संतोष हुआ है कि सरकार इस विभाग के किसी कर्मचारी को नहीं निकालेगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मीटर-गेज लाइन रंगापाई से तेजपुर तक और उस के आगे उत्तर लखीम पुर तक बढ़ा दी जाये। यह स्थान ब्रह्मपुत्रा के उत्तर में हैं और सरकार को आसाम के इस भाग में यातायात सुविधाओं के बारे में ध्यान देना चाहिये । मीटर गेज लाइन को बढ़ना न केवल देश के विकास के लिये अपितु रक्षा के प्रयोजनों के लिये भी आवश्यक है ।

आसाम की गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में बढ़िया किस्म का बहुत सा कोयला तथा

खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं, किन्तु यातायात के साधनों के न होने के कारण इन कोयला क्षेत्रों से कोयला निकाल कर नहीं भेजा जा सकता, कुछ समय पूर्व रेलवे लाइन बनाने के लिये भू-परिमापन किया गया था। आशा है कि गारो पहाड़ियों के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने के लिये रेलवे पर्षद् एक लाइन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगा।

रेलवे प्रशासन ने डब्बों, गाड़ियों आदि के सुधार के लिए काफी प्रयत्न किया है। किन्तु खेद है कि बहुत से रेलवे वर्कशापों में जहां इंजनों और अन्य चीजों की मरम्मत की जाती है, 'धीरे काम करो' की नीति बरती जाती रही है, जिस से प्रगति में बहुत बाधा पड़ी है। इस सम्बन्ध में, मैं अपने उन मित्रों से जो सदन में दांई ओर बैठे हैं और जिन का श्रमिकों पर प्रभाव है, प्रार्थना करूंगा कि वह श्रमिकों को इस नीति को छोड़ देने और देश की सेवा के भाव से काम करने का आदेश दें।

कहा गया है कि पुनः वर्गीकरण मितव्ययता तथा कार्यक्षमता की दृष्टि से किया गया है। परन्तु मितव्ययता तो हमें वर्तमान आयव्ययक में दिखाई देती नहीं है। यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी कर्मचारी को निकाला नहीं गया है। आशा है कि समय बीतने पर मितव्ययता अवश्य होगी। कार्यक्षमता में भी शीघ्र सुधार होने की हम आशा करते हैं। किन्तु सरकार पर आंकड़े दे कर यह प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व आता है कि पुनःवर्गीकरण से वस्तुतः कार्यक्षमता बढ़ी है और मितव्ययता हुई है।

रेलवे में नौकरी के बारे में मेरा एक सुझाव है। आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) तथा प्रान्तीय सेवाओं की तरह, रेलवे में भी संचालन की कार्यक्षमता और स्थानीय रेल यात्रियों की सुविधा के हेतु, कम से कम श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारियों की स्थानीय रूप से भर्ती की एक योजना बनानी चाहिये। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि आसाम रेलवे में इस समय दो से अधिक आसाम निवासी पदाधिकारी नहीं हैं और अब आसामी कांटे वालों और चौकीदारों जैसी छोटी छोटी नौकरियों पर भी दिखाई नहीं देते हैं। स्थानीय लोगों के हित के लिये जो कि आसाम रेलवे द्वारा यात्रा करते हैं और जो आसामी के सिवा और कोई भाषा नहीं जानते, श्रेणी ३ और ४ की नौकरियों के लिये भर्ती स्थानीय रूप से की जानी चाहिये और भर्ती अधिकारियों का मुख्य कार्यालय गोहाटी में होना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरु) : आयव्ययक पर बोलने से पहले, मैं श्री सरमा के इस आरोप का, कि रेलवे वर्कशापों में श्रमिक राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हैं, खंडन करना चाहूंगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आज प्रत्येक श्रमिक अपने आप को भारत का नागरिक समझता है और भारत की उन्नति के लिये अपना अधिक से अधिक सहयोग देना चाहता है। यद्यपि सरकार ने उनकी छंटनी का डर दूर नहीं किया है, उन्हें अधिक वेतन भी नहीं दिया और उन की सेवा की स्थिति में सुधार भी नहीं किया है, तथापि वह सब कठिनाइयों के होते हुए, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रख रहे हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह एक आदर्श नियोजक बने और उन्हें यदि अधिकतम मजूरी नहीं तो कम से कम न्यूनतम मजूरी तो दे, ताकि वह अपना जीवन-निर्वाह कर सकें।

आयव्ययक के बारे में एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मैं यह कहूंगा कि यात्रियों के लिये यातायात की सुविधायें बहुत कम, अपर्याप्त और असंतोषजनक हैं। पंच-वर्षीय योजना में कहा गया है कि आज कल यात्रियों का यातायात इतना बढ़ गया है कि यदि

[श्री बी० एस० मूर्त्ति]

रेल के डब्बों और गाड़ियों को दुगना भी कर दिया जाये, तो भी हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी । मैं सुविधाओं के बारे में नहीं, केवल गाड़ियों में स्थान के बारे में कह रहा हूं । क्या सरकार ने स्थान के बारे में यात्रियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया है ? हमें बतलाया जाता है कि माननीय मंत्री ने अधिक डब्बे मंगवाये हैं । परन्तु मैं पूछता हूं कि मंगवाने से पूर्व क्या सरकार ने अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है और इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि हमें कितने डब्बे चाहियें, कितनों के लिये विदेशों में आर्डर दिये गये हैं और कितने हमारे अपने कारखानों में बनाये जा सकते हैं ? मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में आंकड़े शीघ्र इकट्ठे किये जायें ।

रेलों के प्रादेशिक पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में, मैं एक बात कहूंगा । श्री गोपालस्वामी ने रेलवे प्रशासन में मितव्ययता करने के एक बहुत उपयुक्त आन्दोलन की योजना बनाई है और यद्यपि उन्होंने विशाल हृदयता और सेवा की भावना से इस का श्रीगणेश किया है, तथापि जैसा कि हमारे देश में प्रायः होता है, इस में भी राजनीति घुस आई है और हम देखते हैं कि सब प्रादेशिक वर्ग अस्त-व्यस्त अवस्था में हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं । जहां तक दक्षिणी महाखंड का सम्बन्ध है, आन्ध्र देश को तीन खंडों में बांट दिया गया है । एक उत्तर को दिया गया है, एक दक्षिण को और तीसरा भगवान जाने किस को दिया जायेगा । इस प्रकार प्रति दिन नये खंड बनाये जाते हैं । सरकार दक्षिण में थाडा से उत्तर में खड़गपुर तक, पूर्व में मसुलीपट्टम से पश्चिम में बिलारी और रायचूर तक और दक्षिण में अर्कोनाम से उत्तर में बल्हारशाह तक, एक पृथक महाखंड बना सकती थी, जिस से कि तेलगू बोलने वाले सब लोग एक ही महाखंड में आ जाते । इस को आन्ध्र महाखंड का नाम देना बहुत उपयुक्त होगा ।

हमें बतलाया गया है कि रेलवे आयव्ययक में २७ करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । किन्तु इस की तुलना में तीसरे दर्जे के यात्रियों को क्या सुविधायें दी गई हैं ? निस्सन्देह भारत आज स्वतन्त्र है, किन्तु साधारण जनता के लिये वास्तविक स्वतंत्रता तभी होगी जब उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाये, और जब वह सुविधापूर्वक यात्रा कर सके । अतः हमारी उन्नति का अर्थ यह होना चाहिये कि तीसरे दर्जे का यात्री सुखी हो और फ़ैक्टरियों में काम करने वाला श्रमिक यह अनुभव करे कि उस के श्रम से भारतीय स्वतंत्रता की नींव पक्की हो रही है ।

११ म० पू०

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि गत पांच वर्षों से रेलवे संगठन बहुत कार्यपटुता से चलाया गया है । विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये रेलवे प्रशासन तथा उस के बड़े से बड़े पदाधिकारियों से ले कर छोटे से छोटे मजदूरों तक, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।

रेलवे को प्रत्येक वर्ष लाभ होता है, किन्तु मैं यह नहीं समझ सकता कि सरकार को इतना धन (निधि) रक्षित रखने की चिन्ता क्यों है । इस में से कुछ धन तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये और उन के लिये जो कि पायदानों पर खड़े हो कर सफ़र करते हैं, अधिक सुविधायें देने के लिये व्यय किया जाना चाहिये । कई एक अन्य समस्याओं को, जैसा कि रेलवे के उन हज़ारों विस्थापित कर्मचारियों के लिये, जो डब्बों में रह रहे हैं, निवासस्थान बनाना, मंहगाई भत्ता, भाड़े तथा वस्तु भाड़े की दरों का निश्चय करना पुनर्वास समस्या हल करना है ।

रेलवेज़ के पुनर्वर्गीकरण के बारे में में समझता हूं कि यह एक आवश्यक बात थी, किन्तु जैसा कि सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बार बार कहा गया है, इस से कार्यक्षमता तथा मितव्ययता हर हालत में बढ़नी ही चाहिये। लगभग दो वर्ष तक विचार-विमर्श करने के बाद २६ फ़रवरी, १९५२ को, इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई कि दो रेलवेज़, उत्तर-पूर्वी रेलवे तथा पूर्वीय रेलवे के मुख्य कार्यालय कलकत्ता में होंगे और स्यालदा डिवीज़न उत्तर-पूर्वी रेलवे का भाग होगा और इलाहाबाद डिवीज़न उत्तरी रेलवे का भाग होगा। किन्तु ६ मार्च, १९५२ को केन्द्रीय रेलवे परामर्श-दात्री परिषद् की एक बैठक में, इस निर्णय में, जिसे कि सदन में स्वयं मंत्रियों ने न्याय ठहराया था, परिवर्तन कर दिया गया और उत्तर-पूर्वी रेलवे का मुख्य कार्यालय गोरखपुर में रख दिया गया। किन्तु जब आन्दोलन शुरु हुआ, तो एक और सम्मेलन किया गया और इस में सरकार के पहले सब निर्णयों के विपरीत स्यालदा डिवीज़न को पूर्वी रेलवे के साथ जोड़ देने का निर्णय किया गया।

कुछ लोग कहते हैं कि यह आपत्ति इसलिये उठाई गई है क्योंकि यह बंगालियों का प्रश्न है। मैं स्पष्ट रूप से इस का खंडन करता हूं और कहता हूं कि यदि इस प्रश्न का केवल गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जाये, तो हम संतुष्ट हो जायेंगे। श्री गोपालस्वामी आयंगर ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श कर के किया गया था। मैं पूछता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश के हित में कोई परिवर्तन क्यों किया जाये? इस प्रश्न के वित्तीय पहलू भी हैं और कर्मचारियों की भर्ती तथा स्थानान्तरण और पूंजी व्यय का अनिश्चित मामला भी है।

इस सारे विषय के सम्बन्ध में मेरा रचनात्मक सुझाव यह है कि एक प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों का आयोग नियुक्त किया जाये जो सभी भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करे। बिहार, उड़ीसा, आसाम और उत्तर प्रदेश का अपना अपना दृष्टिकोण है और इन को अपनी अपनी कठिनाइयां और समस्यायें हैं। व्यापार और वाणिज्य ने अपनी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि इस मामले में दलबंदी और प्रान्तीयता का कोई स्थान नहीं होना चाहिये और हम अपना पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं। सरकार को भी अपना पक्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार इस युक्तियुक्त सुझाव को स्वीकार कर ले, तो इस से वर्तमान स्थिति में सुधार होगा और एक बहुत जटिल समस्या का हल निकल आयेगा।

अन्त में, मैं गंगा पर बनाये जाने वाले पुल के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद उठा है उस के बारे में एक शब्द कहूंगा। बंगाल चाहता है कि यह पुल बंगाल में होना चाहिये और बिहार कहता है कि यह मोकामा के समीप होना चाहिये। मैं समझता हूं कि दोनों का पक्ष सबल है। जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है, फ़र्रुखाबाद के पास एक पुल बनाना न केवल रेलवे प्रशासन के लिये अपितु कलकत्ता नगर के लिये अत्यावश्यक है। इसी प्रकार यदि मोकामा पर पुल न हो तो, यह उत्तरी बिहार से कट जायेगा। क्या यह संभव नहीं है कि दोनों स्थानों पर एक एक पुल बना दिया जाये। इन पर चार या पांच करोड़ रुपये लागत तो आ जायेगी किन्तु आप के पास बहुत सी रक्षित निधि है। ऐसा करने से न केवल दोनों प्रान्तों का भला होगा अपितु इस से भारत के पूर्वी महाखंड के यातायात तथा भावी विकास की जटिल समस्या भी हल हो जायेगी।

श्री हेडा (निज़ामाबाद): माननीय सभापति महोदय, साधारण जनता की दृष्टि से तीन चार वर्ष में रेलवे का जैसा काम

[श्री हेडा]

हुआ है उस की तरफ़ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो आम तौर पर यह तसलीम (स्वीकार) किया जाता है कि रेलवे ने हमारे इस देश में काफ़ी प्रगति की है। अभी अभी श्यामा प्रशाद मुखर्जी साहब ने भी यही फ़रमाया, हालांकि इस हाउस में और इस हाउस के बाहर कुछ इने गिने ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी भी प्रकार की प्रगति न रेलवे में और न किसी और चीज़ में हुई है।

जहां तक थर्ड क्लास का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि इन चार वर्षों में सब से ज़्यादा तरक्की थर्ड क्लास पैसेंजर्स (यात्रियों) को जो सुविधायें दी जानी चाहियें उस के सम्बन्ध में हुई हैं। इस तरक्की का जहां तक सम्बन्ध है वहां तक वास्तव में तरक्की सन्तोष-जनक और पूरी तरक्की हुई है, ऐसा न मैं कह सकता हूं और न शायद कोई और कह सकेगा इस दृष्टि से समाधान होना कोई अच्छी चीज़ नहीं माना जाता और जीवित व्यक्ति और जीवित संस्थायें हमेशा प्रगति पर चलती रहती हैं। लेकिन तीन चार वर्ष पहले थर्ड क्लास की जो हालत थी और आज जो हालत है उस में मैं बगर किसी विरोध की सम्भावना के कहसकता हूं, कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ३०० मील से ज़्यादा सफ़र करने वालों के लिये आज विशेष सहूलियतें हैं और दूर जाने वाली रेलों में सफ़र करने वालों के लिये मैं समझता हूं कि पहले के ज़माने की इंटर क्लास की लगभग सारी सुविधायें मौजूद हैं। इस सदन के एक सदस्य श्री नम्बियार ने फ़रमाया कि थर्ड क्लास में लोग सो नहीं पाते हैं। हां, सब के सब तो नहीं सो पाते हैं लेकिन फिर भी लम्बी ट्रेन के अन्दर जो थर्ड क्लास के विशेष प्रकार के नये कम्पार्टमेंट्स (डब्बे) उन में वह बराबर सो सकते हैं। इस प्रकार की सुविधायें थर्ड क्लास में मिली हुई हैं। अभी हाल में जब मैं हैदराबाद से आ रहा था तो उन के पास बैठने वाले दो मित्र यात्रा कर रहे थे, जिन में से एक फ़र्स्ट क्लास में थे और एक थर्ड क्लास में थे मैं इन दोनों के बीच की क्लास में था। मेरा निरीक्षण बताता है कि दोनों की सुविधाओं में अगर जो खर्चा हुआ है उस को देखा जाये तो विशेष फ़र्क नहीं था। जहां तक मुझे मालूम है वहां तक मैं यह कह सकता हूं कि लगभग ५०० मील या ५०० मील से ज़्यादा दूर जाने वाले यात्री आज थर्ड क्लास में सो सकते हैं। फिर भी मैं यह ज़रूर निवेदन करूंगा कि थर्ड क्लास के नये कोचेज़ (डब्बे) जितनी संख्या में होने चाहियें उतने नहीं हैं। बड़े बड़े स्टेशनों को मिलाने वाली गाड़ियों में भी थर्ड क्लास के कोचेज़ उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे नये कोचेज़ आ रहे हैं वैसे वैसे यह सुविधा बढ़ती जा रही है और मुझे आशा है कि एक दिन, और वह दिन बहुत जल्द आ जायेगा, कि हर यात्री को चाहे वह थर्ड क्लास का हो या और किसी क्लास का हो जो २००-२५० मील से ज़्यादा जाता है, सो सकेगा।

इस के बाद एक विशेष चीज़ के सम्बन्ध में, जिसके बारे में मैंने गत वर्ष भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, कहना चाहता हूं। नयी लाइनों के वास्ते इस बजट में जो गुंजाइश रखी गयी है वह बहुत ही कम है। वह गुंजाइश ३ करोड़ ६१ लाख और ४७ हज़ार रुपये की है। और रैस्टोरेशन्स (फिर से बिछाने) के लिये एक करोड़ १४ लाख रुपये हैं। रेलवे का जितना माइलेज़ (मील पूरी) हमारे इस देश में है, वह इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या होने और हमारा

क्षेत्रफल इतना ज्यादा होने के कारण काफ़ी कम है। अमेरिका इग्लैंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इन में से कुछ देश क्षेत्रफल में काफी छोटे होने के बावजूद, और जन संख्या में सब के सब हम से काफी छोटे होने के बावजूद, हम से बहुत ज्यादा रेलवे माइलेज रखते हैं और इस रफ्तार से जो, कि इस बजट (आय-व्यय) में बताई गयी है, अगर हम चलने लगें तो वहां तक पहुंचने के लिये मेरे ख्याल से हम को पचास या सौ वर्ष दरकार होंगे। तो वह रफ्तार बहुत ही कम है। मैं ने गत वर्ष यह सुझाव दिया था और मैं जानता हू कि उन में कुछ वैधानिक कठिनाइयां भले ही हों, लेकिन फिर भी इच्छा हो तो कुछ न कुछ रास्ता निकाला जा सकता है, कि जिस प्रकार हम रेलवे बजट में हर वर्ष डिविडैंड टू जनरल रैवेन्यूज (सामान्य राजस्व को लाभांश) के नाम पर लगभग ४ फी सदी का एक आंकड़ा निकाल रखते हैं और वह जनरल रैवेन्यूज को जाता है और यह ख्याल किया जाता है कि जनरल रैवेन्यूज़ ने जो कंट्रीब्यूशन (अंशदान) कैपिटल (पूंजी) के रूप में रेलवेज़ में किया था उसके सूद के तौर पर या डिविडैंड के तौर पर यह वापस जाता है, उसी तौर पर मैं ने निवेदन किया था कि जो कैपिटल है उस में से कम से कम दो फी सदी कैपिटल वापस करने की स्कीम हर रेलवे बजट में होनी चाहिये। और यह जो कैपिटल वापस करने की बात है उस को हम नयी रेलवे लाइनों पर खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार अगर रेलवे बजट तैयार किया जाये तो, मैं ने गत वर्ष भी बतलाया था कि, हमारा गत वर्ष का रेलवे बजट भी लास (हानि) में जाता है, सरप्लस (लाभ) नहीं है और इस वर्ष का बजट भी कोई सरप्लस (लाभ) नहीं होगा। अगर हम यह ख्याल दिला देते हैं कि हमारी रेलवेज़ २३ करोड़ रुपये का फायदा करती है तो उस का जनता पर एक मनोवैज्ञानिक असर होता है कि जब रेलवे इतना कमा रही है तब क्यों नहीं हमारी सुविधाऐं बढ़ाने की बात सोची जाती। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोगों को यह बतावें कि नयी लाइनों के लिये हम को लगभग १०० करोड़ रुपये की जरूरत है तो इस प्रकार हमारा यह बजट कोई ७०-७५ करोड़ का डैफिसिट (घाटा) का बन जाता है। तब जनता इस प्रकार नहीं सोचेगी और न हमारी प्रगति कम हो सकेगी। प्रगति के दो ही रास्ते हैं, एक तो यह कि हम जो मेहनत करें उस में से कुछ बचत करें और उस को आगे तरक्की में लगा दें या दूसरा रास्ता यह है कि हम क़र्ज़ा लें। कर्ज़ा लेने की हमारी शक्ति सीमित है और क़र्ज़ा लेना उतना मुनासिब भी नहीं है। बचत करना हर दृष्टि से सर्वोपरि है और इस ख्याल से इस प्रकार की एक साइकोलाजी (मनोदशा) बनाने की आवश्यकता है। और मैं नये मंत्री महोदय से, जिन का कि सार्वजनिक संस्थाओं से बहुत ज्यादा सम्बन्ध रहा है और जो सरविसेज़ (सेवाओं) में से न आ कर राजनीतिक पार्टी से आये हुए हैं, प्रार्थना करूंगा कि वह इस के ऊपर सोचें और इस प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति निर्माण करने के वास्ते बजट के अन्दर जैसे हम डिविडैंड टु जनरल रैवेन्यूज़ के लिये गुंजाइश रखते हैं उसी प्रकार की गुंजाइश नयी रेलवे लाइनों के लिये रखें तो ठीक होगा। इस को आप कैपिटल का रिपेमेंट (पूंजी का पुनः भुगतान) करने का नाम दे दीजिये, चाहे नयी रेलवे लाइनें खोलने के वास्ते एक विशेष फंड (निधि) का नाम दे दीजिये, लेकिन इस प्रकार का एक एक आइटम (मद) रखना मेरे ख्याल से जरूरी है।

[श्री हेडा]

एक और बात इस सम्बन्ध में श्री नम्बियार साहब ने फ़रमाई थी और वह यह कि चूंकि इस क़दर ज्यादा मुनाफा, २३ करोड़ से ज्यादा मुनाफा रेलवे को हुआ है, इसलिये आज मज़दूरों की जो परिस्थिति है उस में सुधार होना चाहिये । वास्तव में हर एक के दिल में इस प्रकार का ख्याल पैदा होता है । यह ठीक है कि मज़दूरों की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है और इस लिहाज़ से उस में सुधार होना चाहिये । लेकिन यह सुधार और मज़दूरों की सुविधाओं में इज़ाफा, यह चीज़ें सिर्फ एक ही जगह नहीं होनी चाहियें । जिस प्रकार बारिश अगर सब जगह हो तो वह अच्छी होती है, एक ही जगह अगर होने लग जाये तो उस से तूफान मच सकता है । उसी प्रकार उज़रतों में इज़ाफा लगभग हर जगह होना चाहिये । अगर इस दृष्टि से हम एग्रीकल्चरल लेबर (कृषि श्रम) की तरफ़ देखते हैं तो उस की जो परिस्थिति आज है उस का मुकाबला फैक्टरी लेबर (फैक्टरी श्रमिकों) या रेलवे लेबर (रलवे श्रमिक) से हम कर ही नहीं सकते, इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति वहां मौजूद है । इस के बाद एक और चीज़ मैं निवेदन करना चाहता हूं । रेलवे और इस प्रकार के जो हमारे दूसरे डिपार्टमेन्टस (विभाग) हैं वह व्यापार के सिद्धान्तों पर चलते हैं । हमें इस में देखना चाहिये कि किसी का नुक्सान न होते हुए अगर हम कुछ ज्यादा नफ़ा निकाल सकते हैं तो हमें वह बराबर प्राप्त करना चाहिये । लेकिन जगह जगह अलग अलग रिवाज ऐसे चले आ रहे हैं जिन की वजह से मेरा ख्याल है कि हमारी रेलवे जितना मुनाफा कमाना चाहिये उतना नहीं कमा रही हैं । मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ दो चीज़ों का उल्लेख करूंगा । दिल्ली के आस पास विशेषकर जिसे हम पहले ईस्ट इंडियन रेलवे कहते थे वहां जब रेस्टोरांज (जलपानगृह) या होटल वगैरह का आक्शन (नीलाम) किया जाता था, मैं ने बहुत ही विश्वसनीय व्यक्तियों से सुना है, यह रिवाज था कि दस पंद्रह साल पहले जिन को वह कंट्रेक्ट्स दिये गये थे उन्हीं को कुछ कम ज्यादा कर के फिर से दे दिये जाते थे, और इसी प्रकार अब भी वह कार्य चल रहा है । अगर उन के नये सिरे से आक्शन किये जायें और सब लोगों से टेन्डर मांगे जायें तो मेरा ख्याल है कि कम से कम पच्चीस लाख का नफ़ा हो सकता है, और पचास लाख तक भी उस में हमारी आमदनी बढ़ सकती है । दूसरी चीज जिस को मैं ज्यादा निकट से जानता हूं वह यह है कि स्किन्दराबाद जैसे स्थानों में, जहां स्टोर्स सप्लाई करने के वास्ते टेन्डर मांगे जाते हैं, कुछ अड़चनें पहले से पैदा कर दी गई हैं जिस की वजह से ज्यादा टेन्डर नहीं आ पाते हैं । बहुत कम टेन्डर आते हैं । परिणामस्वरूप रेलवे को ज्यादा मंहगी दरों पर चीजें खरीदनी पड़ती हैं, इस तरह से हमारा नफ़ा कम होता है । जो शर्तें रखी गई हैं उन में से एक यह है कि काफी बड़ी रकम, दस या पंद्रह हजार रुपया हर टेन्डर के साथ दाखिल करने के लिये कहा जाता है । होना तो यह चाहिये था कि टेन्डर मंजूर होने के बाद यह रकम डिपाजिट (धरोहर) के तौर पर ली जानी चाहिये ।

मैं अपना भाषण समाप्त करने के पहले एक चीज़ की तरफ ध्यान दिला देना चाहता हूं, वह यह है कि जो लम्बी लम्बी ट्रेनें हमारे बड़े बड़े शहरों के बीच चलती हैं, जैसे दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-कलकत्ता वगैरह जिन के बीच बड़े बड़े फ़ासले हैं, उन रेलों की स्पीड (चाल) बहुत कम है । दुनियां के और देशों की रेलों को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि अगर हम ने कोशिश की

तो दस से पच्चास प्रति शत हमारा समय बच सकता है, और आज कल जितने समय में हम दिल्ली से हैदराबाद या मद्रास पहुंच सकते हैं उस से दस या पच्चीस प्रतिशत कम वक्त में वहां पहुंच सकेंगे और उस से हमारा बड़ा लाभ होगा । यह दो तीन सूचनायें दे कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय: अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व, मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि मैं उन्हें इस क्रम से बुलाऊंगा ताकि वह अपने स्थान पर उपस्थित रहें । श्री लक्ष्मणसिंह चरक, श्री रेड्डी, डा० लंका सुन्दरम, डा० जयसूर्य, श्री दाभी, श्री सूफी मुहम्मद अकबर, श्री टी० के० चौधरी और श्री फ्रैंक ऐन्थनी । माननीय सदस्य यदि चाहें तो वह अपना भाषण १५ मिनट की बजाय १० मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम: यदि वक्ताओं की क्रमानुसार सूची सभाकक्ष में लगा दी जाये, तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि तब हमें ज्ञात हो सकेगा कि हमारे नाम कब पुकारे जायेंगे ।

सभापति महोदय: मैं सूची सभाकक्ष में लगवा दूंगा ।

श्री चरक (जम्मू तथा काश्मीर): सन् १९५२-५३ के रेलवे आयव्ययक को देखकर मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि भारत की स्वतंत्रता के पांच वर्षों में माननीय मंत्री और कर्मचारी-वृन्द ने जिस योग्यता से इस विभाग को संभाला है, वह संसार में अद्वितीय है। विभाजन के बाद रेलों की वह दुर्दशा थी कि पूर्वी पंजाब में कोई गाड़ी पांच दस मील की रफ्तार से तेज़ नहीं चलती थी। इस अवस्था को सुधारने के लिये हमारे नेताओं ने जिस योग्यता और सूझ-बूझ से काम लिया, वह माननीय सदस्यों को और भारत की जनता को इतनी जल्दी भूल नहीं जाना चाहिये । पांच वर्ष की अवधि में अब आप यह देख सकते हैं कि जहां सन् १९४७-४८ में हमारी गाड़ियां, यहां तक कि डाक गाड़ियां दो दो तीन तीन घंटे लेट आया करती थीं, अब यह अवस्था है कि गाड़ियां अपने समय से पांच दस मिनट पहले पहुंचती हैं । मैं मानता हूं कि उन्नति के लिए अभी बहुत कुछ गुंजाइश है और इस से अधिक उन्नति होनी चाहिये, किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि हर एक काम करने में समय लगता है ।

तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की कठिनाइयों का कई बार उल्लेख किया गया है, किन्तु सरकार इस से पूरी तरह परिचित है । पांच वर्ष की अवधि में पहले से बहुत अधिक डब्बे बन गये हैं और साधारण तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की सुविधा के लिए आज भारत के हर भाग में जनता गाड़ियां चलाई गई हैं जिन से लोगों की कठिनाइयां बहुत हद तक दूर हो गई हैं । इस को मानना ही पड़ता है कि रेलों में प्रत्येक दिशा में प्रगति ही प्रगति हुई है । रेल के डब्बे, स्टेशन और प्रतीक्षालय आप को पहले से बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। यदि किसी चीज़ की शिकायत की जा सकती है, तो वह यह है कि पहले और दूसरे दर्जे के डब्बों में अब पहले जितनी सफाई नहीं होती है और इनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की जाती है। मेरा निवेदन यह है कि आप तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को अवश्य अधिक से अधिक सुविधायें दीजिये, उन के सोने के लिये भी प्रबन्ध कीजिये, किन्तु पहले और दूसरे दर्जे के जो डब्बे बने हैं या बनाये जा रहे हैं, उन को कम से कम संभाल कर रखिये और अपने कर्मचारियों पर, विशेषतया सहायक कर्मचारियों पर यह स्पष्ट कर दीजिये कि रेलवे उन के अपने

[श्री चरक]

देश की हैं । और इन्हें अच्छी से अच्छी हालत में रखना उन का कर्तव्य है ।

अब मैं जम्मू-पठानकोट लाइन का, जो कि जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत से मिलाती है, उल्लेख करूंगा । आप के द्वारा श्रीमान्, मैं सदन और सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये यह अत्यावश्यक है कि जम्मू-पठानकोट रेलवे को चलाया जाये और इस को सर्वोपरिता दी जाये । इस से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और लोगों को सुविधा मिलेगी, अपितु रक्षा के मामलों में भी हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी और यदि युद्ध फिर से शुरू हो गया, तो सहायता पहुंचाने के लिये यह एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होगी । पठानकोट रेलवे स्टेशन की अवस्था अब पहले से अच्छी है । वहां जम्मू-काश्मीर सरकार ने यात्रियों के लिये एक सूचनालय स्थापित कर दिया है, किन्तु इसके लिये रेलवे विभाग ने एक छोटा-सा कमरा दे रखा है और वहां बैठने का स्थान भी नहीं है । रेलवे पदाधिकारियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कमरे को बढ़ाया जाये या दो तीन कमरे और बना दिये जायें । मुकेरियां तक जो नई लाइन बनी है, बहां जो भोजनालय हैं, उन में भी सुधार की आवश्यकता है ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जम्मू लाइन पर विचार करते समय इसे जंगलगली तक, जहां कोयले की खान है, ले जाया जाये । विशेषज्ञों की राय है कि यदि खान को गहरा किया जाये, तो बहुत अच्छा कोयला निकल सकता है । लाइन को जंगलगली तक मिला देने से कोयला की समस्या हल हो जायेगी ।

मैं अन्त में, अपनी ओर से और अपने राज्य की ओर से मंत्री महोदय और सरकार को उन की योग्यता और कार्यपटुता पर धन्यवाद देता हूं ।

श्री बल्लातरास (पुदुकोटै) : गत पांच वर्षों में भारत में जिस प्रकार से विभिन्न रेलवेज़ का एकीकरण और उनमें समन्वय किया गया है वह सराहनीय है और यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान परिस्थितियों में रेलवेज़ की स्थिति सुदृढ़ हो गई है ।

माननीय रेल मंत्री ने इस बात पर ठीक ही ज़ोर दिया है कि देश की सामान्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, न कि किसी स्थानीय क्षेत्र या विशेष प्रांत के हितों को। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि माननीय मंत्रियों पर किसी विशिष्ट प्रांत के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के लिये दबाव न डाला जाये ।

भारतीय रेलवे संसार की सब से बड़ी चौथी रेलवे है और देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति अधिकतर रेलवे तंत्र की समुचित व्यवस्था पर निर्भर है । स्वतंत्र भारत की रक्षा भी इस बात पर निर्भर करती है कि रेलें सुरक्षा से सेनाओं तथा शस्त्रों को देश के हर भाग में पहुंचा सकें ।

खेद है कि हमारी गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम है । स्थानीय गाड़ियां औसत १२ से १८ मील तक की रफ्तार से चलती हैं और डाक गाड़ियां १५ से २४ मील तक की रफ्तार से । यह अत्यन्त आवश्यक है कि गाड़ियों की और विशेषत: डाक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाये ।

जहां तक पुन: वर्गीकरण का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि इस को वैज्ञानिक तथा

सुव्यवस्थित आधार पर स्थिर किया जाये । रेलवेज़ के लिये सूचना, विकास और अनुसन्धान की एक केन्द्रीय संस्था होनी चाहिये ।

सरकार ने आर्थिक तथा प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही रेलों को छः भागों में बांटा है, किन्तु एक विशेष समिति द्वारा इस बात की जांच करवाना कि प्रत्येक इकाई आर्थिक दृष्टि से एकीकरण के योग्य है या नहीं और क्या देश के भाषावार विभाजन से इस में सहायता मिलेगी या नहीं, ठीक होगा ।

वर्तमान प्रस्तावों में प्रत्येक भाग के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि पुरानी शासन प्रथा जारी रहेगी और प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिये तीन संचालन क्षेत्र बनाये जायेंगे । इन के लिये नये नये कार्यालयों की आवश्यकता होगी । सदन को यह जानने की इच्छा है कि छंटनी आदि के द्वारा कहां तक बचत की जा सकेगी ।

सड़क, रेलवे, वायुयान चालन और जल यातायात के इन चार साधनों में समन्वय करने की अत्यन्त आवश्यकता है । इन सब साधनों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । पटरियों की मरम्मत कर के गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकती है ।

१२ मध्यान्ह

"यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में " नाम की पुस्तिका पढ़ने से बहुत निराशा होती है । कहा गया है कि विभिन्न लाइनों पर कुछ नई गाड़ियां चलाई गई हैं, और कई मार्गों को बढ़ा दिया गया है । किन्तु इन में भीड़ भाड़ की कमी नहीं हुई है । यह ठीक है कि तीसरे दर्जे और इन्टर क्लास के डब्बों में स्थान बहुत कम अस्वच्छ, असंतोषजनक और असुविधाजनक होता है । परन्तु इस बात के होते हुए भी कि रेलवे के कुल राजस्व का ९० प्रति शत भाग तीसरे दर्जे के मुसाफिरों से इकट्ठा किया जाता है, सरकार तथा रेलवे प्रशासन इन मुसाफिरों की सुविधाओं की घोर उपेक्षा कर रहा है । तीसरे और इन्टर क्लास के डब्बों में स्थानों का सुरक्षण केवल एक दिखलावा मात्र ही है । हाल ही में मद्रास से दिल्ली तक यात्रा करते हुए मैं ने देखा कि एक तीसरे दर्जे के डब्बे में, जो कि साठ या सत्तर व्यक्तियों के लिए था, तीन या चार सौ व्यक्ति भरे हुए थे । वास्तव में लम्बे सफ़र वाली गाड़ियों में सीधे डब्बे लगा देने से भीड़ बिल्कुल कम की जा सकती है । उदाहरण के लिये यदि मद्रास से दिल्ली आने वाली गाड़ी में इस प्रकार के दो तीसरे दर्जे के और एक इन्टर क्लास का डब्बा लगा दिया जाये, और दिल्ली के टिकट वालों को इन में बैठने दिया जाये, तो कोई भीड़ नहीं रहेगी । मुझे आशा है कि यदि प्रत्येक लाइन पर ऐसा किया गया, तो भीड़ ७५ प्रति शत कम हो जायेगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भाषण देते समय अपने नोट्स की ओर निर्देश कर सकते हैं, किन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का भाषण उन का अपना ही भाषण होना चाहिये और किसी दूसरे का लिखा हुआ नहीं होना चाहिये ।

श्री वल्लातरास : माननीय मंत्री ने कुछ गर्व से कहा है कि भ्रष्टाचार बहुत कुछ कम हो गया है या बिल्कुल समाप्त हो गया है । मैं समझता हूं कि ऐसा कहना गलत है । वास्तव में भ्रष्टाचार अधिक वैज्ञानिक, स्थायी और सुव्यवस्थित हो गया है । भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये सरकार के सब प्रयत्न असफल रहे हैं। मेरे

[श्री वल्लातरास]

विचार से एक ऐसा समय आ सकता है, जब कि रेलवे के माल विभाग में काम करने वाले सरकार के भ्रष्टाचार को अन्त करने के प्रयत्न की उपेक्षा करेंगे । जब तक रेलवे संस्थाओं के अध्यक्षों के विचार नहीं बदलेंगे, यह आशा करना व्यर्थ है कि कम वेतन पाने वाले क्लर्क और अन्य कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे ।

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यदि सरकार ने उन को सन्तुष्ट करने के लिये कोई समुचित, सुआयोजित और सुविचारित योजना नहीं बनाई, तो भविष्य में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होगी ।

डा० लंका सुदन्रम : श्रीमान्, मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य होता है कि रेलवे जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के सब से बड़े साधन की समृद्धि में सदन ने इतनी कम रुचि दिखलाई है । मैं देखता हूं कि पहले दिन भी बहुत कम सदस्यों ने हमारे रेलवे प्रशासन की प्रगति, रेलवे प्रशासन के उत्तरदायित्व, रेलवे मजदूरों के कर्त्तव्यों और रेल यात्रियों के अधिकारों में रुचि ली थी । मुझे आशा थी कि यह सदन रेलवे प्रशासन की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिये बहुत उत्सुक होगा ।

हमें जो पत्रादि दिये गये हैं, उन से ज्ञात होता है कि सन् १९५०-५१ में ८७ लाख यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और उन से एक करोड़ ७१ लाख रुपये वसूल किये गये । मैं समझता हूं कि यदि बिना टिकट यात्रा करने वालों के प्रश्न को अधिक उत्साह और वैज्ञानिक तरीके से सुलझाया जाये तो आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है जिस से भाड़ें और वस्तु भाड़े में की जाने वाली अधिक वृद्धि को रोका जा सकता है और पुनःसंगठन तथा पुनर्वास की कई योजनायें बनाई जा सकती हैं ।

पुनःवर्गीकरण की योजना के बारे में मैं केवल एक दो बातें कहूंगा । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि मूल योजना में बार बार संशोधन क्यों किया गया ? उदाहरण के लिये पहले अजमेर या जयपुर को पश्चिमी रेलवे के मुख्य कार्यालय के लिये चुना गया था? बाद में यह निर्णय क्यों बदल दिया गया ? सरकार जब एक बार एक निश्चित निर्णय कर ले, तो उसे उस पर दृढ़ रहना चाहिये । इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक महत्व के मामलों के प्रति सरकार का रवैया सदा दबाव डालने वाले दलों से प्रभावित होता रहा है । मैं माननीय मंत्री से एक आश्वासन लेना चाहूंगा कि पुनःवर्गीकरण के मामले को किसी राजनैतिक दबाव या प्रान्तीयता के भाव से प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा ।

अब मैं हड़ताल की धमकी का उल्लेख करूंगा । आप को यह विदित होगा कि जून, १९५१ में महंगाई भत्ते में जो पांच रुपये की वृद्धि की गई थी, उस से रेल कर्मचारी संघ की संतुष्टि नहीं हुई थी । मैं जानता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले के निर्णयन के लिये कोई स्थायी कार्यवाही करने के हेतु एक मामूली सा प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करूंगा वह मानावमान का ध्यान न करते हुए रेल कर्मचारी संघ या अन्य किसी ऐसी संस्था के साथ, जो महंगाई भत्ता, मूल वेतन आदि के विषय में राय देने योग्य हो, बैठ कर एक सम्मानपूर्ण समझौता कर लें क्योंकि मैं इस बात के लिये बहुत उत्सुक हूं कि रेलवे प्रशासन इस प्रकार से अपना काम जारी रखे जिस से कि हमारी आर्थिक उन्नति हो सके ।

गत फ़रवरी में जो श्वेत पत्र परिचालित किया गया था, उस में लिखा है कि कोयले

का वस्तु भाड़ा बढ़ा देने से उद्योगों और उपभोक्ताओं पर ३·६ करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। एक अर्थ शास्त्री होने के नाते मैं समझता हूं कि धन और केवल धन को ही ध्यान में रख कर इतना असंतोषजनक निर्णय किया गया है। इस तरह यह भी बतलाया गया है कि रेलवे के औसत भाड़ों और वस्तु भाड़ों में क्रमशः ४६ प्रति शत और ७३ प्रति शत वृद्धि होगी। सब से अधिक आश्चर्य मुझे इस बात से होता है जब यह कहा जाता है कि इस वृद्धि से भी संचालन व्यय पूरा नहीं हो सकता। इस विषय में, मैं एक दो बातें और कहूंगा।

सब से पहले सन् १९४२-४३ में भाड़े १५ प्रति शत बढ़ाये गये थे; सन् १९४४-४५ में यह फिर २५ प्रति शत बढ़ाये गये और अन्त में सन् १९५०-५१ में तीसरे दर्जे का भाड़ा एक पाई, दूसरे दर्जे का २ पाई और पहले दर्जे का ३ पाई बढ़ा दिया गया था। वस्तु भाड़ा सन् १९४२-४३ में १२½ प्रति शत बढ़ा दिया गया था और अब कोयले का भाड़ा ३० प्रति शत और बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बार बार की वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल है या यह केवल आर्थिक प्रश्न को ध्यान में रख कर ही की जाती है। मेरे विचार से भाड़े और वस्तु भाड़े अब चरमावस्था पर पहुंच चुके हैं।

परिचालित पत्रों से यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष ईंधन सम्बन्धी व्यय में १२ करोड़ रुपये की कमी हुई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि यह कमी कैसे हुई है।

श्रीमान, रेलवे की नियोजन नीति के बारे में मैं एक शब्द कह कर समाप्त करता हूं। श्वेतपत्र में दिये गये इस विवरण के प्रतिकूल, कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू की गई हैं, मैं देखता हूं कि ४०,००० कर्मचारियों को जिन में कलर्क आदि सम्मिलित हैं, उन वेतन श्रेणियों में नहीं लाया गया है, जिन की आयोग ने सिफारिश की है। ४,००० टाइपिस्टों को भी उन वेतन श्रेणियों में नहीं लाया गया है। मैं चाहता हूं कि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कोई भेद भाव नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि रेलवे प्रशासन को सामन्य आयव्ययक के आधीन नहीं रखना चाहिये, बल्कि इसे व्यापारिक आधार पर चलाया जाना चाहिये।

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : मैं यह कहने में अन्य वक्ताओं से सहमत हूं कि आर्थिक दृष्टि से, रेलवेज ने गत पांच वर्षों में अच्छी प्रगति की है और संचालन कार्य क्षमता में पर्याप्त सुधार हुआ है। मैं रेल मंत्री को इस बात पर भी धन्यवाद देता हूं कि रेलवेज ने गत अकाल के समय बिहार की बहुत सहायता की, जब कि तीन मासों में कमी वाले क्षेत्रों में पांच लाख टन अनाज भेजा गया।

पुनःवर्गीकरण के विवादास्पद प्रश्न के विषय में, मैं यह कहूंगा कि इस का आधार भूत सिद्धांत बहुत अच्छा है। इस से २½ करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह राशि श्रमिकों के कल्याण पर और अधिक सुविधायें देने पर व्यय की जा सकती है।

मैं ने रेलवे की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् की सब बैठकों की कार्यवाही का अध्ययन किया है और मुझे इस बात से संतोष हुआ कि आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अन्तिम निर्णय के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी थी। मेरी राय में गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्य

[श्री भगवत झा]

कार्यालय रखना न्यायोचित था । हमें इस का समुचित अनुभव करना चाहिये । यदि यह प्रयोग सफल रहा तो बहुत अच्छी बात है । अन्यथा सारी पुनःवर्गीकरण की योजना को, विशेषतः उत्तरपूर्वी महाखंड के सम्बन्ध में बदलना हमारे अधिकार में है। तथापि मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री सारी योजना का फिर से परीक्षण करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करें। ऐसा करने से कोई हानि नहीं होगी ।

मैं रेल मंत्रालय को इस बात पर बधाई देती हूं कि उस ने भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर रेलवे वर्कशाप स्थापित करने की चेष्टा की है । चित्तरंजन फ़ैक्टरी में इंजन बनाये जा रहे हैं और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी में डब्बे तैयार हो रहे हैं। मद्रास में एक और डब्बे बनाने की फैक्टरी स्थापित की जा रही है । इन सब प्रयत्नों से देश में विदेशी मुद्रा की बचत होगी । यह देख कर भी संतोष होता है कि इंजन मीलों तथा डब्बे के फेरों के सम्बन्ध में प्रगति हुई है ।

मैं ने विरोधी दल के वक्ताओं के भाषणों को बड़ी सावधानी से सुना है । किन्तु उन के भाषण परस्पर-विरोधी कथनों से भरे पड़े हैं । श्री नम्बियार के इस आरोप के उत्तर में, कि बहुत से पुराने इंजनों, मसाफिर डब्बों और माल के डब्बों को बदला नहीं गया, मैं यह कह सकता हूं कि युद्ध काल में ऐसा करना सम्भव नहीं था और इन की कमी एक दिन में नहीं हुई थी । उन्होंने यह भी पूछा था कि राजस्व रक्षित निधि, विकास निधि और अन्य सब निधियां किस प्रयोजन के लिये हैं और इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया जाता । मैं उन्हें यह बतलाना चाहूंगा कि इन विधियों को पृथक् पृथक् रखना केवल सुविधा का ही प्रश्न है ।

" उत्तम यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में" पुस्तिका का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि लगभग एक दर्जन नई लाइनें खोली जानी हैं। इस विषय में मेरा सुझाव यह है कि सन्थाल परगना में भी, जिस की जनसंख्या २४ लाख है और जहां रेल या सड़क यातायात का कोई साधन नहीं है, एक नई लाइन खोली जाये ।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि बहुत से स्टेशनों को फिर से ठीक किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि परिपन्त और मथुरापुर जैसे स्टेशनों की बुरी दशा है । वहां पर कोई प्रतीक्षालय नहीं है । इन की ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं मंत्रालय से यह भी निवेदन करूंगा कि वापसी टिकट योजना को, जो कि युद्ध काल से पूर्व प्रचलित थी, फिर से जारी किया जाये । इस से जनसाधारण को बहुत लाभ होगा ।

श्री विट्टल राव (खम्मम) : रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा करते हुए, हमें दो बातों को ध्यान में रखना है अर्थात् रेलवे श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और क्या सरकार सब से बड़ा नियोजक होने के नाते देश के अन्य उद्योगपतियों के सामने एक आदर्श रख रही है अथवा नहीं । सरकार ने केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार तो कर लिया था, किन्तु जब इन्हें कार्यान्वित करने का समय आया, तो वह अपने वादे से मुकर गई । मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में उस में स्पष्ट रुप से यह लिखा हुआ था कि जीवन देशनांक में प्रति २० अंश की वृद्धि होने पर ५ रुपये दिये जायें,

किन्तु वह भी नहीं दिये गये । निस्सन्देह एक बड़े आन्दोलन के बाद सन् १९४९ में उन के वेतनों में १० रुपये की वृद्धि की गई थी और सन् १९५१ में पांच रुपये और बढ़ा दिये गये थे, परन्तु चूंकि रुपये की क्रय शक्ति कम हो गई है, इसलिये रेलवे कर्मचारियों को वर्तमान ४५ और ५५ रुपये के स्थान पर ७० रुपये मिलने चाहियें ।

मकानों के निर्माण के बारे में माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि उन्होंने लगभग चार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी रकम रेलवे मजदूरों के मकानों पर खर्च नहीं की जायेगी। पदाधिकारी भी इस में सम्मिलित हैं। मंत्रालय के अपने आंकड़ों के आधार पर मेरे विचार से हम प्रति वर्ष ८००० से ९००० तक नये मकान बना सकते हैं। इस ममय ९,३३,००० रेल कर्मचारी बिना मकानों के हैं और यदि इस रफ्तार से निर्माण कार्य जारी रहा तो मकानों का कार्यक्रम ८० वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकेगा।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा का निर्देश करते हुए मैं पूछता हूं कि क्या ९० अस्पताल और ३०० औषधालय जिन में कुल २००० रोगियों के लिये स्थान हैं साढ़े नौ लाख कमचारियों के लिये पर्याप्त हो सकते हैं ? इस के साथ गत दो वर्षों से बिना मूल्य भोजन दिये जाने की पद्धति भी बदल दी गई है ।

रेलवे पर्षद् द्वारा जारी किये गये विवरणों में बतलाया गया है कि अब डाक्टरी सहायता पर ६०लाख रुपये की अपेक्षा ढ़ाई करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है । किन्तु दवाओं के बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस से रेल कर्मचारियों को कोई अधिक लाभ नहीं हो रहा है। मजदूरों के काम के बढ़ते हुए जोखिम को ध्यान में रखते हुए उन के लिये अधिक औषधालय और अस्पताल खोलने होंगे।

अनुसचिवीय कर्मचारी वृन्द का मामला सात वर्षों से खटाई में पड़ा है। संयुक्त परामर्शदात्री समिति की इस सिफारिश को कि निम्न श्रेणी के २५ प्रति शत कर्मचारियों को ऊंची श्रेणी में लाया जाय कार्यान्वित नहीं किया गया है और जीवन निर्वाह के बढ़े हुए खर्च के अनपेक्ष भी ३१,००० क्लर्क कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिली है ।

आज नौ लाख रेलवे कर्मचारियों में से १,२५,००० कर्मचारी अस्थायी हैं । यद्यपि रेलवे पर्षद् और रेल मंत्रालय ने सैद्धांन्तिक रूप से यह मान लिया था कि जो लोग सितम्बर १९४५ से पहले आये हैं उन्हें स्थायी कर दिया जायगा परन्तु इन कर्मचारियों के पद सितम्बर १९४५ से अब तक अस्थायी ही है । कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सितम्बर १९४५ से पहले नियुक्त किये गये थे किन्तु उन्हें स्थायी नहीं किया गया है । एकीकरण तथा छंटनी के कारण यह कर्मचारी स्थायी न होने की निराशा और आशंका से काम कर रहे हैं।

रेलवेज़ की सामान खरीदने की नीति के सम्बन्ध में पहले यह नियम था कि किसी भी समय अवशिष्ट सामान वर्ष में जारी किये गये कुल सामान का ४० प्रति शत होना चाहिये । किन्तु सामान्यतः इस का आधिक्य होता है । हाल में श्रौफ समिति ने बतलाया है कि कुछ रेलवेज में इतना माल खरीद लिया जाता है कि उन के उपयोग की वर्तमान दर से वह २०० या ३०० वर्ष तक भी समाप्त नहीं होगा । माल के सम्बन्ध में इतना धन नष्ट किया जा रहा है किन्तु जब श्रमिक अधिक वेतन या मंहगाई भत्ता मांगते हैं तो कहा जाता है कि धन नहीं है।

[श्री विट्टल राव]

एस० आई० रेलवे के १०० कर्मचारी निलम्बित या पदच्चुत हैं। इन में से कुछ एस० आई० श्रमिक संघ के उच्च पदाधिकारी भी हैं। विभाजन के बाद दंगे के दिनों में यह पंजाब गये थे और उन्होंने वहां की रेलें चलाई थीं। किन्तु उन्हें क्या फल मिला ? तीन या चार साल वे निरुद्ध रहे और रिहा होने के बाद भी उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया गया है। एन० एस० रेलवे में भी ऐसे उदाहरण हैं जिन में कई व्यक्तियों को सितम्बर १९५० में रिहा होने के बाद भी पुनःनियुक्त नहीं किया गया है। अन्य रेलवेज़ में भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। निरुद्ध व्यक्तियों को सन् १९४९ में कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया था।

हाल के निर्वाचनों में रेल कर्मचारियों को निर्वाचन लड़ने की आज्ञा नहीं दी गई थी। उन्हें उम्मीदवारों की सहायता भी नहीं करने दी गई थी। उन्हें इस जनतंत्रात्मक अधिकार से वंचित रखा गया है।

एन० एस० रेलवे पर हिंगोली – खंडवा लाइन के बनाये जाने की मांग बहुत समय से है। परन्तु इस आय-व्ययक में इस लाइन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मसूर में द्दामराजनगर-सत्य मंगलम लाइन पर केवल पांच करोड़ रुपये लागत आयेगी। नंजनगढ़ एक औद्योगिक नगर बनता जा रहा है। इस महत्वपूर्ण लाइन को बनाने के लिये ४० करोड़ रुपये की रक्षित निधि में से धन लिया जा सकता है।

जब राज्यों की रेलवेज को केन्द्र में मिलाया गया तो राज्य सरकारों को उस का कोई प्रतिकर नहीं दिया गया। किन्तु हमें इस पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है। पूंजी के इस अतिरेक को समाप्त कर के ४० करोड़ की सुरक्षित निधि का नई लाइनें बनाने में प्रयोग किया जाना चाहिये।

पंच निर्णय के चार वर्ष पश्चात् भी उस निर्णय को भूतपूर्व एन० एस० रेलवे पर लागू नहीं किया गया है और जब कोई अभ्यावेदन किया जाता है तो यही उत्तर मिलता है कि प्रश्न विचाराधीन है। काम बढ जाने पर भी उचित सुविधायें नहीं दी गई हैं।

सूफी मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति महोदय, इस सदन में जो रेलवे आय-व्ययक प्रस्तुत हुआ है उस की प्रशंसा करते हुए मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जम्मू और काश्मीर राज्य एक ऐसा राज्य हैं जहां एक मील भी रेलवे लाइन नहीं है। विभाजन से पूर्व स्यालकोट और जम्मू के बीच एक छोटी सी रेलवे लाइन थी जिस के द्वारा यह राज्य पंजाब और भारत के साथ मिला हुआ था। भारत के विभाजन के बाद सैनिक और सीमान्त सुरक्षा की दृष्टि से इस राज्य का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस लिये यह आवश्यक है कि इस में पठानकोट से श्रीनगर तक पूरी दूरी तक न सही किन्तु पठानकोट से जम्मू और ऊधमपुर तक एक लाइन बनाई जाती ताकि यहां की आर्थिक उन्नति होती। आप को ज्ञात होगा कि जम्मू व काश्मीर राज्य का एक मात्र व्यापारिक मार्ग जो उस को भारत और संसार के अन्य देशों से मिलाता है यही जम्मू–पठानकोट मार्ग है। इस मार्ग पर रेलवे लाइन के न होने के कारण नमक, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जो कि राज्य में लाई जाती हैं अधिक भाड़ा देना पड़ता है। इसी प्रकार इमारती लकड़ी, फल और अन्य चीजें राज्य से बाहर ले जाने

पर अधिक भाड़ा देना पड़ता है और यह वस्तुयें बहुत अधिक मूल्यों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। जहां तक सैनिक आवश्यकताओं के लिये चीज़ों को लाने ले जाने का सम्बन्ध है रेलवे लाइन न होने के कारण इस दिशा में भी बहुत सा रुपया नष्ट हो जाता है। रेलवे लाइन न होने के कारण हमें बहुत सा पैट्रोल विदेशों से खरीदना पड़ता है। इस से भी हमारा बहुत सा रुपया बाहर चला जाता है। यदि रेलवे लाइन बनाई और चालू कर दी जाती है तो हमारा काफी रुपया बच सकता था और इस रुपये को हम अन्य कामों पर व्यय कर सकते थे।

श्रीमान्, दूसरी बात यह है कि काश्मीर मेल प्रातः साढ़े नौ बजे पठानकोट पहुंचता है अतः उन यात्रियों को जिन्हें काश्मीर जाना होता है एक दिन अधिक खर्च करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि काश्मीर मेल के समय में ऐसा परिवर्तन किया जाये जिस से कि काश्मीर जाने वाले यात्री एक ही दिन में वहां पहुंच सकें।

जहां तक रेलवेज़ के प्रशासन का सम्बन्ध है वर्तमान सरकार ने और भारत के नेताओं ने जिस योग्यता, साहस और पौरुष से रेलवेज का प्रबन्ध किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। अन्य बातों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत आय-व्ययक प्रशंसनीय है।

अन्त में, मैं फिर माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक वर्तमान आय-व्ययक का सम्बन्ध है काश्मीर के लोगों को आशा थी कि इस में काश्मीर में रेल लाइनें बनाने के लिये धन का प्रावधान होगा किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले की ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस के पश्चात सदन की बैठक मंगलवार, २७ मई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।